मध्यभारत सरकार की

जमींदारी समाप्ति-समिति

की

रिपोर्ट

गवालियर

१९४९

मूल्य १॥)

॥ श्री ॥

विषय-सूची

प्रकरण			पृष्ठ
आमुख	....	....	क
१—प्रास्ताविक	....	....	१
२—क्षतिपूर्ति (मुआवजा)	....	....	१३
३—मुअवाजा देने का प्रकार	....	....	२६
४—मुआवजे के रकम की व्यवस्था	....	....	३३
५—प्रबन्ध (व्यवस्था)	....	....	३६
६—समिति द्वारा की गई सिफारिशों का संक्षेप		....	३८

सूची-परिशिष्ट

१—सूचि अजलाय व परगनात, जिनमें जमीदारी ग्राम है, मय संख्या ग्राम।

२—पत्रक उन ग्रामों का, जो दान खैरात या वक्फ आदि किये गये हों।

३—पत्रक संख्या जमीदारान, व मालगुजारी, जो वह देते हैं।

४—पत्रक खुदकाश्त रकबा जमीदारान (संख्या रकबा खुदकाश्त जो जमीदारान ने किया व जो शिकमियों से काश्त कराया।

५—पत्रक शिकमी काश्तकारान।

६—पत्रक मौरूसी व गैरमौरूसी काश्तकारान।

७—पत्रक सुपुर्दगी व मुस्ताजरी मवाजियात (रकबा व मालगुजारी)।

८—पत्रक निकासी, मालगुजारी व मुनाफा, जिला तथा परगनेवार जहां जमीदारी प्रथा है।

९—अंदाजी व्यय पत्रक।

आमुख

मध्य भारत का निर्माण २५ छोटी व बड़ी देशी रियासतों का विलीनीकरण करके किया गया है। इन सब रियासतों में भूतपूर्व राज्य गवालियर की लोक संख्या तथा क्षेत्रफल दूसरी सब रियासतों से अधिक है। मध्य भारत का क्षेत्रफल ४६,५२७ वर्गमील होकर इस में से केवल पूर्व राज्य गवालियर का ही क्षेत्रफल २५,७६८ वर्गमील है। विलीनीकरण के पूर्व इस राज्य की लोक संख्या ४००६१५६ थी। लोक संख्या के आंकड़े सन् १९४१ की जनगणना के अनुसार लिये गये हैं।

मध्य भारत में भूतपूर्व राज्य गवालियर को छोड़कर शेष कुल देशी रियासतों में रैयतवारी प्रथा प्रचलित है। गवालियर के ग्रामों की संख्या लगभग ८६०० होकर उनमें से लगभग ८४५० ग्रामों में जमीदारी प्रथा प्रचलित है। व शेष ग्रामों में रैयतवारी प्रथा प्रचलित है। समस्त क्षेत्रफल जो भूतपूर्व राज्य गवालियर का है उसमें से १८६३६ वर्गमील में जमीदारी प्रथा प्रचलित है। भूतपूर्व राज्य गवालियर के अतिरिक्त मध्य भारत में दीगर जगह भी थोड़े जमीदारी ग्राम है जिनकी संख्या लगभग ४०० की है परगनेवार जमीदारी ग्रामों की संख्या परिशिष्ट नं० १ पर दी गई है इस प्रकार कुल जमीदारी ग्राम मध्य भारत में ८६३७ हैं।

भारत सरकार के विभिन्न प्रांतों का अनुसरण करते हुये इस राज्य की प्रजा ने भी जमीदारी प्रथा समाप्त करने की मांग तत्कालीन शासन से की, व इस हेतु प्रजा सभा तथा राजसभा में जमीदारी समाप्ति के प्रस्ताव पेश किये गये परन्तु तत्कालीन शासन की ओर से यह आश्वासन मिलने पर कि, एक समिति इस प्रकार निर्माण की जा रही है कि, जो जमीदारी समाप्ति किस प्रकार की जावें इस पर विचार करके शासन के सन्मुख अपने प्रस्ताव रखेगी, यह प्रस्ताव वापिस ले लिये गये।

इसके पूर्व राज्य की आय बढ़ाने के हेतु जमीदारी के बजाय रैयतवारी प्रथा प्रचलित करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये श्रीमंत सरकार ने मिनिस्टर साहेबान, हेड्स आफ दी डिपार्टमेन्टस व सूबा साहेबान, की एक कान्फरन्स जनवरी सन् १९४५ में गवालियर में की थी। इस कान्फेरन्स में वर्तमान कानून के अन्तर्गत जमीदारी प्रथा के बजाय रैयतवारी प्रथा प्रचलित किये जाने का ठहराव पास हुआ। इस ठहराव पर भूतपूर्व रेव्हेन्यू मिनिस्टर साहब तथा एक्जीक्युटिव्ह

कौन्सिल की विनती पर श्रीमंत सरकार ने दिनांक ७ : ७ : १९४६ को यह आज्ञा प्रदान की कि, इस कार्यालय के तज्ञों की कमेटी नियुक्त की जाकर प्रकरण प्रस्तुत किया जावें।

दिनांक १४ : ३ : ४८ को शासन की ओर से इस कार्य के लिये एक कमेटी कायम हुई जिस में तीन सदस्य रक्खे गये। इस कमेटी के चेअरमेन श्री रामचन्द्रराव दाते रिटायर्ड मेंबर बेंच अपील माल, नियुक्त किये जाकर तत्कालीन प्रजा सभा के मेंबर माननीय श्यामलाल पांडवीय तथा राज सभा के मेंबर माननीय सौभाग्यमल जैन को सदस्य बनाया गया। सेक्रेटरी के स्थान पर रेव्हेन्यू सेक्रेटरी की नियुक्ति की गई।

किसी कारणवश इस कमेटी के चेअरमैनशिप से श्री दाते साहब ने त्यागपत्र दिया जो दिनांक २१ जुलाई सन् १९४८ को स्वीकृत किया गया। इस कमेटी की एक भी बैठक नहीं हुई व कोई भी कार्य इस कमेटी ने नहीं किया।

इसके पश्चात दूसरी समिति की स्थापना की गई और इस समिति के निम्न-लिखित सदस्य नियुक्त किये गये। इस समिति की स्थापना दिनांक १७:१:१९४९ को शासन की आज्ञानुसार हुई। इस कमेटी के चेअरमैन श्री माननीय सौभाग्यमल जैन मेंम्बर धारा सभा नियुक्त किये जाकर उनके अतिरिक्त ६ सज्जनों को इस कमेटी में सम्मिलित किया गया।

नाम सदस्य	
१. माननीय श्यामलाल पांडवीय, मुरार	मेंबर धारा सभा
२. माननीय सैयद हामिलअली शाह, लश्कर	,, ,,
३. माननीय राधाचरणजी शर्मा, अंबाह	,, ,,
४. माननीय शिवदयालजी श्रीवास्तव, मुरार	,, ,,
५. श्री सेठ लक्ष्मीनारायण अग्रवाल मन्दसोर	
६. श्री पी० एस० बापना सीनियर मेंबर बोर्ड आफ रेव्हेन्यू	
७. श्री जगतनारायण गर्ग सेक्रेटरी रेव्हेन्यू डिपार्टमेन्ट को इस समिति का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया।	

इस समिति की दो बैठकें दिनांक १४-२-४९ तथा २-३-४९ में हुई जिसमें माननीय श्यामलाल पांडवीय सम्मिलित हुये। उसके पश्चात वह सचिवपद पर नियुक्त होने से किसी भी बैठक में सम्मिलित न हो सके।

दिनांक १६-३-४६ को शासन ने श्री जगतनारायण गर्ग सेक्रेटरी रेव्हेन्यू डिपार्टमेन्ट जो इस समिति का सेक्रेटरी का कार्य सम्पादन कर रहे थे उनको समिति का सदस्य बनाकर इस समिति के सेक्रेटरीशिप पर श्री एस० जी० वडजीकर अन्डर सेक्रेटरी रेव्हेन्यू डिपार्टमेन्ट को नियुक्त किया।

जांच के सिद्धान्त

शासन की ओर से समिति को यह आदेश दिया गया कि अपने सुझाव रखते समय निम्नलिखित बातों तक ही सुझाव सीमित किये जावें।

१. आया जमीदारियाँ यकलख्त समाप्त कर दी जावें या कि धीरे धीरे रैयतवारी टेन्योर पर लाई जावें।

२. यदि धीरे धीरे जमीदारी मवाजियात को रैयतवारी पर लाया जाना हो तो क्या तरीका इख्तियार किया जाना चाहिये।

३. यदि यकलख्त जमीदारी खत्म करना हो तो जमीदारों को मुआवजा दिया जाना चाहिये या नहीं।

४. यदि प्रश्न नम्बर ३ का उत्तर हाँ में हो तो मुआवजा किस प्रकार कायम किया जाना चाहिये।

५. प्रश्न नम्बर ४ में कायम किया हुआ मुआवजा यकमुश्त जमीदारों को दिया जाना चाहिये या कि किश्तों में, व कितने समय में।

६. जमीदारी प्रथा किस प्रकार खत्म की जाना चाहिये।

समिति की बैठकें

समिति की पहली बैठक ग्वालियर में १४ फरवरी सन् १६४६ को यह विचार करने के लिये हुई कि समिति अपना कार्य किस प्रकार करे, और उसी दिन एक सब कमेटी भी मुकर्रर की गई जिसके सिपुर्द प्रश्नावली तथा जिलों से जो माहिती मंगाना हो उसका विवरण तैयार करने के लिये दिया गया। दूसरी बैठक दिनांक २-३-१६४६ को हुई जिसमें सब कमेटी द्वारा तैयार की हुई प्रश्नावली को पास किया गया तथा यह भी पास किया गया कि कतिपय सज्जनों तथा संस्थाओं के पास खासतौर से यह प्रश्नावली भेजकर उनके उत्तर व मत मंगाये जावें और कुछ सज्जनों को मौखिक साक्ष के लिये भी निमन्त्रित किया गया। मौखिक साक्ष के लिये लगभग २७ सज्जनों को निमन्त्रित किया गया। कुल मिलाकर समिति की बैठकें

१८ हुईं, इनमें से दिनांक ६-६-१९४९ को व दिनांक १-७-४९ को जो बैठकें हुईं उ
निमन्त्रित सज्जनों में से जो सज्जन उपस्थित हुये उनकी साक्ष ली गई। दिनांक ६-६
को बैठक गवालियर में हुई व दिनांक १-७-४९ तथा २-७-४९ को इन्दौर में बै
की गई पृथक पृथक जगह बैठक करने का मुख्य कारण यह था कि जो सज्ज
मालवा प्रान्त के थे व जिनको साक्ष देने के लिये निमन्त्रित किया गया था उन
इन्दौर जाने में सुविधा थी।

कमेटी की ६ बैठकें इन्दौर में हुईं क्योंकि, राजधानी ग्रीष्म काल होने की वज
से उस समय इन्दौर थी, कमेटी की जो बैठक दिनांक ३०-७-४९ तथा १८-८-४९
१९-८-४९ को इन्दौर में हुई उसमें कमेटी ने जाँच के सिद्धान्त के अनुसार अप
प्रस्तावों पर विचार किया व सुझाव निश्चित किये। इसके पश्चात दिनांक ६-९-४
तथा ७-९-४९ को जो बैठक हुई उसमें रिपोर्ट की रूपरेखा तैयार की गई। इस
अनन्तर जितनी बैठकें हुईं उनमें रिपोर्ट को पूर्ण स्वरूप दिया गया।

रिपोर्ट की रूपरेखा

रिपोर्ट में कुल मिलाकर ६ प्रकरण है, पहिला प्रकरण प्रास्ताविक है जिसमें
जमीदारी प्रथा का प्रारम्भ तथा विकास किस प्रकार हुआ, इस प्रथा से अधिक
अन्न उत्पादन करने में किस प्रकार अडचनें उत्पन्न होती हैं व निजी संपत्ति का
वास्तविक स्वरूप क्या है, व इस स्वरूप की धारणाओं में समय के परिवर्तन से कैसे
कैसे बदल हो रहा है, इसका विवेचन किया जाकर इस प्रथा से देश की जो आज
हानि हो रही है उसका विवरण देते हुये जमीदारी प्रथा संपूर्ण समाप्ति की
आवश्यकता प्रतिपादित की गई है।

दूसरे प्रकरण में मुआवजा देने का आधार क्या होना चाहिये उसका विवेचन
करके उसको निश्चित किया गया है। उसी प्रकार भिन्न-भिन्न श्रेणी के जमीदारान
तथा अन्य मध्यस्थों को मुआवजा किस प्रकार देना चाहिये इस सम्बन्ध में सुझाव
रक्खे गये हैं।

तीसरे प्रकरण में मुआवजा किस प्रकार दिया जावे इसका विवरण करते हुये
जमीदारों के कर्जदारों का भी निपटारा किस प्रकार होना आवश्यक है इस सम्बन्ध
में सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं।

चौथे प्रकरण में मुआवजे की रकम की अंशतः व्यवस्था किस प्रकार की जा
सकती है इस सम्बन्ध में विवेचन किया गया है।

पांचवे प्रकरण में जमीदारी समाप्ति की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये क्या प्रबन्ध आवश्यक होगा व उसके लिये कितनी रकम खर्च होगी उसका विवेचन किया गया है।

छटवे प्रकरण में संक्षिप्त में कमेटी ने जो जो सिफारिशें की है उसका संकलन एक स्थान पर किया गया है।

रिपोर्ट के अन्त में कुछ परिशिष्ट भी संलग्न किये गये हैं जिससे जहाँ-जहाँ जमीदारी प्रथा मध्य भारत में प्रचलित है वहाँ की उपयुक्त माहिती प्राप्त हो सकेगी। परिशिष्ट में जो आँकड़े दिये गये हैं, उनका आधार ज़िलों से जो माहिती प्राप्त हुई है, वह है।

जिन जिन सज्जनों ने तथा संस्थाओं ने प्रश्नावली के उत्तर समिति की ओर भेजे तथा जिन सज्जनों ने मौखिक साक्ष कमेटी के सन्मुख दी उससे समिति को पर्याप्त सहायता मिली। अत: इन सज्जनों के तथा इन संस्थाओं के प्रति यह समिति अपने धन्यवाद प्रकट करती है।

गवालियर

दिनांक १६-११-१९४९

१८ हुई, इनमें से दिनांक ६–६–१६४६ को व दिनांक १–७–४६ को जो बैठकें हुईं उसमें निमन्त्रित सज्जनों में से जो सज्जन उपस्थित हुये उनकी साक्ष ली गई। दिनांक ६-६-४६ को बैठक गवालियर में हुई व दिनांक १–७–४६ तथा २–७–४६ को इन्दौर में बैठक की गई पृथक पृथक जगह बैठक करने का मुख्य कारण यह था कि जो सज्जन मालवा प्रान्त के थे व जिनको साक्ष देने के लिये निमन्त्रित किया गया था उनको इन्दौर जाने में सुविधा थी।

कमेटी की ६ बैठकें इन्दौर में हुईं क्योंकि, राजधानी ग्रीष्म काल होने की वजह से उस समय इन्दौर थी, कमेटी की जो बैठक दिनांक ३०–७–४६ तथा १८–८–४६ व १६–८–४६ को इन्दौर में हुई उसमें कमेटी ने जाँच के सिद्धान्त के अनुसार अपने प्रस्तावों पर विचार किया व सुझाव निश्चित किये। इसके पश्चात दिनांक ६–६–४६ तथा ७–६–४६ को जो बैठक हुई उसमें रिपोर्ट की रूपरेखा तैयार की गई। इसके अनन्तर जितनी बैठकें हुई उनमें रिपोर्ट को पूर्ण स्वरूप दिया गया।

रिपोर्ट की रूपरेखा

रिपोर्ट में कुल मिलाकर ६ प्रकरण है, पहिला प्रकरण प्रास्ताविक है जिसमें जमीदारी प्रथा का प्रारम्भ तथा विकास किस प्रकार हुआ, इस प्रथा से अधिक अन्न उत्पादन करने में किस प्रकार अडचनें उत्पन्न होती हैं व निजी संपत्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है, व इस स्वरूप की धारणाओं में समय के परिवर्तन से कैसे कैसे बदल हो रहा है, इसका विवेचन किया जाकर इस प्रथा से देश की जो आज हानि हो रही है उसका विवरण देते हुये जमीदारी प्रथा संपूर्ण समाप्ति की आवश्यकता प्रतिपादित की गई है।

दूसरे प्रकरण में मुआवजा देने का आधार क्या होना चाहिये उसका विवेचन करके उसको निश्चित किया गया है। उसी प्रकार भिन्न-भिन्न श्रेणी के जमीदारान तथा अन्य मध्यस्थों को मुआवजा किस प्रकार देना चाहिये इस सम्बन्ध में सुझाव रक्खे गये हैं।

तीसरे प्रकरण में मुआवजा किस प्रकार दिया जावे इसका विवरण करते हुये जमीदारों के कर्जदारों का भी निपटारा किस प्रकार होना आवश्यक है इस सम्बन्ध में सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं।

चौथे प्रकरण में मुआवजे की रकम की अंशतः व्यवस्था किस प्रकार की जा सकती है इस सम्बन्ध में विवेचन किया गया है।

पांचवे प्रकरण में जमीदारी समाप्ति की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये क्या प्रबन्ध आवश्यक होगा व उसके लिये कितनी रकम खर्च होगी उसका विवेचन किया गया है।

छटवे प्रकरण में संक्षिप्त में कमेटी ने जो जो सिफारिशें की है उसका संकलन एक स्थान पर किया गया है।

रिपोर्ट के अन्त में कुछ परिशिष्ट भी संलग्न किये गये हैं जिससे जहाँ-जहाँ जमीदारी प्रथा मध्य भारत में प्रचलित है वहाँ की उपयुक्त माहिती प्राप्त हो सकेगी। परिशिष्ट में जो आँकड़े दिये गये हैं, उनका आधार जिलों से जो माहिती प्राप्त हुई है, वह है।

जिन जिन सज्जनों ने तथा संस्थाओं ने प्रश्नावली के उत्तर समिति की ओर भेजे तथा जिन सज्जनों ने मौखिक साक्ष कमेटी के सन्मुख दी उससे समिति को पर्याप्त सहायता मिली। अतः इन सज्जनों के तथा इन संस्थाओं के प्रति यह समिति अपने धन्यवाद प्रकट करती है।

गवालियर
दिनांक १६-११-१९४९

प्रकरण १

प्रास्ताविक

राष्ट्र पिता महात्मा गाँधी ने एक समय भूमि के आधिपत्य के विषय में कहा था कि जमीन का एक मात्र सच्चा मालिक वह है जो उसे जोते। ये वाक्य कितने अर्थ पूर्ण हैं व इनका महत्व क्या है इसका वास्तविक ज्ञान हमें अब प्राप्त हुआ है। कृषि प्रधान देश होते हुये भी जहाँ पर कि लगभग ८० प्रतिशत लोकसंख्या का निर्वाह केवल कृषि व्यवसाय पर हो और देशवासियों का यही सबसे बड़ा व्यवसाय हो, अपने देशवासियों के लिये पूरा अन्न उत्पादन करने में आज हम असमर्थ हैं। अतीत काल से हम कृषि करते आ रहे हैं। परन्तु आज हमारा उत्पादन इतना कम है कि देशवासियों का पेट भरने के लिये हमें दूसरे देशों पर अवलम्बित होना पड़ता है। यह अवस्था खेद जनक तो है ही अत्यन्त लज्जास्पद भी है।

कृषि व्यवसाय पर जिन बातों का प्रभाव पड़ता है- उनमें सबसे महत्व का प्रभाव जोत पद्धति अर्थात् Land Tenures का है। भूमि राष्ट्र की सम्पत्ति है व राष्ट्र का उत्कर्ष तथा अभ्युदय इसी पर निर्भर है कि जितनी भूमि है, उसका वह राष्ट्र किस प्रकार उपयोग कर रहा है। समस्त संसार की वर्तमान स्थिति पर दृष्टिपात करने पर यह स्पष्टतया प्रगट हो जाता है कि भूमि सुधार की समस्या का महत्व सबसे अधिक है। भूमि में अनंत काल तक उपज देने की शक्ति है व उसकी ही सहायता से नाना प्रकार के धन्धों के लिये कच्चा माल उत्पन्न होता है। ऐसी अवस्था में राष्ट्र की उन्नति के लिये हमारा मुख्य कर्तव्य यह है कि भूमि का उपयोग अधिक से अधिक उत्तम प्रकार से किया जावे जिससे कि हम इस कामधेनु वसुन्धरा से अधिक से अधिक उपज प्राप्त करके अपने जीवन के उपयोग में ला सकें, साथ ही जोत पद्धति इस प्रकार की होनी चाहिये कि जो व्यक्ति जमीन को जोते उसे इस बात का भी पूर्ण विश्वास हो कि उत्पादन का अधिक से अधिक भाग जो कि उसी की मेहनत का फल होता है, उसके लिये छोड़ा जावेगा। यदि कृषक को जो कुछ वह उत्पन्न करता है उसमें से कर के रूप में अथवा भूमि कर के रूप में अथवा अन्य प्रकार से अधिक भाग देना पड़े तो वह अन्न उत्पादन तथा अन्य उत्पादन में श्रम अधिक नहीं करेगा, क्योंकि उसको यह भय रहेगा कि उसके परिश्रम तथा मेहनत का अधिक भाग व फायदा उसको न मिलकर दूसरों को प्राप्त होगा। इसलिये राष्ट्र-हित चाहने वालों का सबसे प्रथम कर्तव्य यह है कि कृषक के पास भूमि की उपज का अधिकांश भाग उसके परिश्रम के बदले में रहे। इस प्रकार व्यवस्था हो।

अधिक उत्पादन करने के लिये प्रलोभन इसी बात से मिल सकता है कि जिस खेत को किसान जोते उसमें उसको अपनापन मालूम हो। आदर्श स्थिति वही हो सकती है जिसमें कि किसान को अधिक सुरक्षितता दी जा सके व उसके मन में यह शंका उत्पन्न न होने पावे कि जिस खेत को वह जोत रहा है उससे वह पृथक कर दिया जावेगा। इसी के साथ साथ राष्ट्र को भी यह अधिकार होना चाहिये कि जो कृषक अपना कर्तव्यपालन ठीक ठीक प्रकार से न करे उसको भूमि से पृथक कर दे। पूर्व में हमारे देश में भूमि का स्वामित्व ग्राम पंचायतों की ओर था, और सभासदों में भूमि का वितरण करने का कार्य भी इन्हीं पंचायतों की ओर था। इन पंचायतों को यह अधिकार था कि, यदि कोई किसान भली प्रकार से खेती न करता हो तो उससे जमीन निकालकर किसी उत्तम खेती करने वाले किसान के सुपुर्द कर दें जिससे कि उत्पादन में वृद्धि हो। सारांश में, विचारधारा इस प्रकार की थी कि, भूमि ग्राम पंचायतों या समाज की होकर उसका उपयोग ग्राम पंचायतों अथवा समाज के लिये होना चाहिये। प्राचीन समय की जोत पद्धति में भूमि के स्वामित्व की भावना का विकास नहीं हुआ था। कृषकों को भूमि से पृथक करना तथा उनको अधिक भूमि देना और इसी प्रकार के अन्य अधिकार गाँव पंचायतों को अथवा समाज को थे। राजाओं को भी जमीन की इस व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। उनको केवल इतना ही अधिकार था कि जो संरक्षण उनकी ओर से किसानों को बाहरी आक्रमण के कारण आवश्यक था उसको दिये जाने के उपलक्ष में वे उत्पादन का कुछ अंश लेने के अधिकारी थे।

चल अथवा अचल सम्पत्ति के स्वामित्व के सम्बन्ध में जो धारणाएँ अब तक थीं और जो अब हो रही हैं उसमें महत्व पूर्ण अन्तर है विगत ६० या ७० वर्षों से इन धारणाओं में शनैः शनैः परिवर्तन होता गया है। प्रथम महायुद्ध में इन धारणाओं को एक जबरदस्त आघात पहुँचा और यह आघात कई सामाजिक तथा आर्थिक सिद्धान्तों का परिणाम था। जनता अब सम्पत्ति को व्यक्तिगत दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहती। अब इस विचारधारा का अधिक प्रभाव पड़ रहा है कि सम्पत्ति का Character व्यक्तिगत की अपेक्षा सामाजिक अधिक है। इस कारण इसका उपयोग सार्वजनिक तथा सामाजिक हितों के लिये ही होना चाहिये। जर्मन प्रजातन्त्र का नया विधान जो ११ अगस्त सन् १९१९ में प्रभावशाली हुआ उसकी धारा १५३ में सर्व प्रथम सम्पत्ति के Character के इन सिद्धान्तों को अपनाया गया और यह घोषित किया गया कि सम्पत्ति के साथ साथ उसके कर्तव्य भी लगे हुये हैं और उसका उपयोग सर्वसाधारण की भलाई के कार्य में ही होगा।

यद्यपि इस संपत्ति सम्बन्धी विचार-धारा का व्यवहार उद्योग धंधों के क्षेत्रों में ही किया गया है, तथापि सिद्धांतिक रूप में भूमि स्वामित्व पर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। सामाजिक तत्ववेत्ताओं का यह कथन है कि भूमि जो कि प्रकृति माता की एक देन है व जो बिना किसी प्रयास अथवा कष्ट के प्राप्त हुई है व जो संसार के जीवन का आधार है उसका स्वामित्व मुट्ठी भर लोगों के पास नहीं रहना चाहिये। निजी संपत्ति के अधिकारों का उपयोग जब भूमि के सम्बन्ध में किया जाता है तो इसमें संदेह नहीं है कि ऐसा उपयोग दूसरी प्रकार की संपत्तियों से अधिक घातक सिद्ध होता है, हमारा वास भी तो भूमि पर होता है ऐसी अवस्था में यदि भूमि का स्वामित्व इस प्रकार बर्ता जावे तो भूमि पर रहना ही कठिन हो जावेगा। इसी कारण भूमि का स्वामित्व नियम के अनुसार शासन में अथवा राजा में स्थित रक्खा जाता है, व वास्तविक जो भूमि का स्वामी होता है वह राजा की ओर से भूमि रखता है, ऐसा माना जाता है। यही सिद्धांत समस्त भूमि सम्बन्धी नियमों में आधार माने जाकर भूमि स्वामी के अधिकारों पर समय-समय पर शासन की ओर से नियंत्रण किये गये हैं।

अर्थ शास्त्रियों ने भूमि को एक विशेष प्रकार की संपत्ति माना है, जिसका कारण यह है कि सारे जगत का क्षेत्रफल ५८ करोड़ वर्ग मील होकर उसमें केवल दो करोड़ नब्बे लाख वर्ग मील ऐसी भूमि है जो कृषि के योग्य है, ऐसी अवस्था में यह स्पष्ट है कि भूमि की मात्रा स्थिर है। कृषि व्यवसाय तथा अन्य व्यापारिक व्यवसाय में जो खास अन्तर है वह यह है कि अन्य व्यवसायों में संपत्ति के उत्पादन का आधार श्रम होता है परन्तु कृषि व्यवसाय में संपत्ति के उत्पादन का आधार भूमि ही है, श्रम की मात्रा तो अधिक भी की जा सकती है परन्तु भूमि की मात्रा में ऐसा करना संभव नहीं है, भूमि की विशेषता एक यह भी है कि, यह एक ऐसी संपत्ति है कि जिसका उपयोग करने पर उसकी उपयोगिता में अधिक कमी नहीं होती, अन्य प्रकार की संपत्ति का उपयोग करने से वह संपत्ति समाप्त हो जाती है जिस प्रकार की खदानों से खनिज पदार्थ निकालने से वह समाप्त हो जाती है वैसा भूमि का उपयोग करने से नहीं होता। उसके विपरीत यदि बुद्धिमानी से भूमि का उपयोग किया जावे तो उसकी उपयोगिता में वृद्धि ही होगी इसमें से हम उपज अनादिकाल से लेते चले आ रहे हैं व अनंत काल तक लेते रहेंगे, दूसरी संपत्तियों के समान न तो यह समाप्त होने वाली है और न इसका उपयोग करने से इसकी उपयोगिता में कमी होने की ही संभावना है।

२

भूमि की इस अंनत उत्पादन शक्ति के कारण मनुष्यों को एक प्रकार से सुरक्षितता प्राप्त हो गई है, यह अवश्य है कि कभी बुरे वर्ष भी आ जाते हैं और उपज नहीं होती, परन्तु दूसरे ही वर्ष माता वसुन्धरा इस कमी को पूरी कर देती है। भूमि की विशेषता इसमें भी है कि न तो उसको कोई चुरा सकता है और न कोई उठाकर ले जा सकता है, आप प्रत्येक दिन उसको देख सकते हैं, मनुष्य मर्त्य है परन्तु भूमि जहाँ तक मनुष्य जीवन का सम्बन्ध है अमर है, भूमि को संपत्ति के रूप में रखने की प्रबल इच्छा का यही कारण है कि इसमें अत्यन्त सुरक्षितता प्रतीत होती है। पैत्रिक सम्पत्ति में भूमि के समान कोई दूसरी वस्तु नहीं हो सकती, यह एक जीवित सम्पत्ति है, मनुष्य धन का उपयोग करके उसको समाप्त कर सकता है, परन्तु उपयोग करके भूमि समाप्त नहीं की जा सकती।

मनुष्य के जीवन में नाना प्रकार की आवश्यकताएँ होती हैं, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति केवल उत्पादन से ही हो सकती है, और इसलिये कोई आश्चर्य नहीं है कि नाना प्रकार के धंधों का, कलाकौशल का आधार खेती हो, क्योंकि खेती वह कला है, जिससे कि भूमि से कच्चा माल उत्पन्न किया जा सकता है जिसके अभाव में न तो जीवन न सभ्यता और न संस्कृति का रहना ही सम्भव है।

यह स्पष्ट है कि समाज अपने अन्न तथा वस्त्रों के लिये खेती पर ही निर्भर रहता है और समाज के घटकों के लिये अन्न व वस्त्र का जो महत्व है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। अन्न की समस्या, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक सब समस्याओं में से सबसे अधिक महत्व की है। प्रत्येक प्रकार की राजक्रांति का आधार यही अन्न समस्या है और इस अन्न समस्या का आधार खेती है। खाद्य पदार्थ तथा कपड़ों के अतिरिक्त और भी पदार्थ खेती से उत्पन्न होते हैं जिनकी आवश्यकता आज के युग में है, इसलिये यह स्पष्ट है कि किसी भी देश की उन्नति यदि पूर्ण रूप से नहीं तो भी बहुत अंश में इस बात पर निर्भर है कि, वह देश इस प्रकृति माता की देन का यानी भूमि का उपयोग किस प्रकार से करता है। खेती का महत्व अधिक वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। सन् १९२६ में जो कमीशन युनायटेड स्टेटस आफ अमेरिका ने खेती के लिये तथा उसकी जाँच करने के लिये नियुक्त किया था व जो—"बिर्झनेस मेन्स कमीशन आन एग्रीकलचर"—के नाम से प्रसिद्ध है उसने अपनी रिपोर्ट के अंतिम भाग में खेती का महत्व दर्शाते हुये यह लिखा है कि, "कृषि केवल धन संपादन करने का मार्ग ही नहीं है, और न यह कोई व्यापार ही है। इसके विपरीत यह एक सामाजिक सेवा है जो कि कुछ व्यक्ति राष्ट्र के हित में राष्ट्र की भूमि से अपनी जीविका उपार्जन के साथ साथ करते हैं।" इसलिये खेती का

महत्व सार्वजनिक तथा सामाजिक होने से इसकी अवहेलना राष्ट्र के हित में नहीं की जा सकती। दूरदर्शी नीतियों का अवलम्ब खेती को इसलिये करना आवश्यक है कि जिससे यह राष्ट्रीय सम्पत्ति केवल सुरक्षित ही न रहे प्रत्युत इसमें उन्नति ही होती रहे, जिसके कारण सामाजिक व राष्ट्रीय सुरक्षितता रहकर देश में हर प्रकार की समृद्धि हो।

खाद्य संकट का, जो स्थायी सा बनगया है एक बुनियादी कारण जमीदारी प्रथा के अन्तर्गत भूमि व्यवस्थाओं का बेढंगा तरीका है। इस प्रथा ने खाद्य सामग्री का उत्पादन बढ़ाने के लिये अपने सारे प्राकृतिक साधनों का लाभ उठाने से राष्ट्र को रोका है। जमीदार के अधिकार और प्रभुत्व के कारण काश्तकार में प्रेरणा का अभाव हो गया है जिसके कारण खेती में उन्नति होना असंभव सा है। जब तक जमीदारी प्रथा का जो कि बारंबार पड़नेवाले अकालों और अस्थायी खाद्याभाव का मूल दायित्व है अन्त नहीं कर दिया जाता तब तक हमारे खाद्य संकट का कोई स्थायी और अन्तिम हल नहीं निकल सकता। इस प्रथा को पूरी तोर से बदल डालने की जरूरत है। हमारी भूमि व्यवस्था की इमारत अब जर्जर हो चुकी है, और वह देश की उत्पादनकारी शक्तियों के विकास के लिये बाधा स्वरूप बन बैठी है। देश के जर्जर आर्थिक ढाँचे का पुनरुद्धार करने के लिये बड़े पैमाने पर कार्य की हरएक उचित योजना के मार्ग में यह बाधा डालती है। उद्योगों के विकास के साथ ही साथ बिना प्रयास की आमदनी पर आधारित जमीदारी प्रथा की समाप्ति होने से ही वे लोग जो आज भूमि हीन हैं और मजदूरी करते हैं परन्तु जो, जमीन उनके पास होने पर उसमें, अच्छा उत्पादन कर सकते हैं उन लोगों के पास हम इतनी मात्रा में भूमि दे सकेंगे कि जो उनकी जीवन यात्रा सुखमय बनाने में समर्थ होगी।

इस प्रथा का सबसे बड़ा दोष यह है कि, इससे ऐसे दो वर्ग उत्पन्न होते हैं जिनके अर्थ संबंध सदैव एक दूसरे के विपरीत रहते हैं, और इस कारण इन दो वर्गों में सदैव ही वैमनस्य रहने के कारण उनकी शक्ति तथा अधिक समय मुकदमेबाजी और आपसी झगड़ों के निपटारे में ही व्यतीत होता है।

जमीदारी प्रथा में जमीदार सर्वेसर्वा होने के नाते वह अपनी मर्जी की अनुसार ही खेती की व्यवस्था तथा भूमि का विभाजन काश्तकारों में करता है जो किसी शास्त्रीय सिद्धांत के आधार पर न होने से ग्रामोन्नति में उससे कोई सहायता नहीं मिलती है, वह अपने स्वार्थी दृष्टिकोण को ही सम्मुख रखकर ग्रामों की आर्थिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करता है, जिसके फल स्वरूप ग्राम व्यवस्था को व्यवस्थित बनाने में कई प्रकार की अड़चनें उत्पन्न हो जाती हैं। भूमि का स्वामित्व आज जो जमीदारों

के पास है वह एक ऐसी प्रथा है कि, जो पूर्व में कभी भी नहीं थी। भारतवर्ष में प्राचीन काल में भूमि के संबंध में जैमिनी ऋषि ने अपने ग्रंथ पूर्व मीमांसा में यहां तक बंधन लगा दिया है कि, राजा भी भूमि का दान नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसकी अकेले की संपत्ति नहीं है। अपितु वह एक सामुदायिक संपत्ति है और उससे फल लेने के अधिकारी वही हो सकते हैं जो कि, उसपर मेहनत करें। वह सबकी है। सबरा स्वामी ने इस पर टीका करते हुये यह लिखा है कि, राजा अपने राज्य का दान नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसका नहीं होता, वह तो अपनी प्रजा को संरक्षण देने के उपलक्ष में एक भाग मात्र का अधिकारी है। सायनाचार्य ने इस पर यह टिप्पणी की है कि, राजा का राजस्व केवल इसी में है कि, वह अपराधियों को दंड दे तथा भले आदमियों का संरक्षण करें। भूमि उसकी संपत्ति नहीं है, क्योंकि भूमि से जो उपज होती है उसके अधिकारी वेही है जिनकी मेहनत से वह उपज होती है। राजा तो केवल भूमि के उपयोग करनेवाले किसानों की उपज के भाग का अधिकारी है, परन्तु यह अधिकार भी राजा को इस लिये प्राप्त नहीं है कि, वह भूमि का स्वामी है। यह तो एक प्रकार का मूल्य है जो राजा को उस संरक्षण के प्रतिफल स्वरूप जो कि, वह प्रजा को देता है, चुकाया जाता है।

प्राचीन काल में जब कि कोई कृषक अपनी भूमि को योग्य प्रकार से नहीं जोतता था अथवा योग्य प्रकार से उसका उपयोग नहीं बरतता था तो उस समय राजा को यह अधिकार था कि वह भूमि को राजसात कर दें। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जिसमें कि भूमि नियम और कृषि के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है लिखा है कि कृषक का भूमि को न जोतना अथवा उसको दूसरे को पट्टे पर देना यह ऐसे अपराध हैं कि जिसके कारण जमीन राजसात की जा सकती है। राजा को यह अधिकार है कि यदि वह चाहे तो उस जमीन को राजसात करें या दूसरे को दें या जिस कृषक ने नियम भंग किया है उसीके पास रहने दें व उससे दण्ड के रूप में कुछ रकम लें। उसी प्रकार इस विद्वान ग्रन्थकार ने यह भी लिखा है कि उपज योग्य भूमि का स्वामी यदि भूमि पर या स्वतः उस पर कोई आपत्ति या संकट न होते हुये भूमि से दूर रहे अथवा भूमि को न जोते तो उस पर दण्ड किया जायगा। मनु जो कि इनसे भी पूर्व के ग्रन्थकार हैं उन ने भी लिखा है कि राजा को यह अधिकार है कि यदि कोई कृषक खेती की उपज तथा उसकी कार्यक्षमता में असावधानी दिखावें तो उसे दण्ड दें।

यह एक आश्चर्य की बात है कि यही सिद्धान्त आर्टिकल नम्बर १५५ जर्मन वायनर कान्स्टिट्यूशन में प्रतिपादित किया गया है। उसमें लिखा है कि भूमि को जोतना तथा उससे उपज लेना यह समाज के प्रति भूस्वामी का एक महान् कर्तव्य है। यही सिद्धान्त हमारे यहाँ प्राचीन काल में माना जाता था, व उसके अनुसार आचरण भी होता था।

भूमि यह प्रकृति माता की देन होने के कारण इस पर सब का स्वामित्व एकसा होना चाहिये। न तो राजा ही उसका एक मात्र स्वामी हो सकता है और न वह व्यक्ति जिसके कब्जे में यह हो, सब लोग भूमि को न तो जोत ही सकते हैं और न राजा अकेला सब भूमि को जोत सकता है। और इसीलिये भूमि को पृथक पृथक कतिपय अधिकारों सहित लोगों में बाँट दिया गया है, और राजा सर्वश्रेष्ठ तथा समाज का मुख्य होने के नाते उसने अपने पास कुछ अधिकार सुरक्षित रख लिये हैं, और ऐसे अधिकारों का उपयोग मनुष्यों को भूमि देते समय पृथक पृथक रूप से किया जाता है। सर जार्ज केम्पबेल ने अपने निबन्ध में जो उन्होंने "इण्डियन लेण्ड टेन्योर" पर लिखा है, यह लिखा है कि "भूमि को जोतने का जो अधिकार है वह वास्तव में कोई अधिकार नहीं है, वह तो केवल एक सुविधा है और अधिकार न होने से यह सम्पत्ति नहीं मानी जा सकती। यह सुविधा वास्तव में तो सब लोगों को होनी चाहिये, और उसके पश्चात् किसी खास जमात को, और उसके पश्चात उस जमात के किसी व्यक्ति विशेष को, ऐसी स्थिति में इस अन्तिम दशा में भूमि का जो विभाजन व्यक्तियों में होता है उसका आधार केवल आपसी सुविधा ही हो सकता है, न कि किसी सम्पत्ति का स्वामित्व"। और इस प्रकार वह भूमि समाज की ही रहती है, और समाज ही उसके हस्तांतर पर बन्धन डालता है, और कुछ समान अधिकार तथा कर्तव्य भी ऐसी भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तावित करता है।

यह है वास्तविक हिन्दू भूमि पद्धति का शुद्ध स्वरूप, खेती आज भी किसानों के लिये जीविकोपार्जन का साधन भले ही हो, फिर भी किसान जो जमीन अपने पास रखता है वह राष्ट्र की धरोहर के रूप में उसको रखता है, पिछले कुछ समय से जनमत ऐसी दूरदर्शी राष्ट्रीय कृषि नीति अपनाये जाने के लिये जोरदार माँग करता रहा है, जिसका लक्ष हमारे प्राकृतिक और मानवी साधनों को सुरक्षित करना, राष्ट्र की खाद्य सामग्री में वृद्धि करना और जन साधारण की समृद्धि को निश्चित कर देना हो। भूमि प्रकृति का वरदान होने के नाते और उसकी आवश्यकता समाज के लिये अत्यन्त होने के नाते उसका उपयोग अथवा दुरुपयोग करना उनकी मर्जी पर नहीं छोड़ा जा सकता है जिनके पास कि आज भूमि है।

मुस्लिम काल पर दृष्टिपात करने से विदित होता है कि उस समय हिन्दू काल की भाँति यदि काश्तकार अपने कर्तव्यों में त्रुटि करता था तो भी वह बेदखल नहीं किया जा सकता था, परन्तु अफगान काल में इस प्रकार के उदाहरण अवश्य मिलते हैं कि काश्तकारों को पूरी फसल उगाहने के लिये बाध्य किया गया और पूरी फसल न उगाहना एक सामाजिक अपराध माना गया, इसके पश्चात परस्पर काश्तकारों से लगान के रुपये तनख्वाहदार नौकरों से वसूल कराने के बजाय ऐसे मध्यस्थ उत्पन्न किये गये कि जो काश्तकारों से रुपये वसूल करके उसका कुछ अंश अपने पास रखकर शासन में जमा करने लगे। अकबर का जप्ती का कायदा सारे मुगल साम्राज्य के लिये लागू नहीं था। जप्ती से भावार्थ यह है कि काश्तकार से शासन का परस्पर सम्बन्ध होना, संयोगवश जहाँ पर यह कायदा लागू भी था वहाँ पर भी मध्यस्थों का आक्रमण होने लगा और यह मध्यस्थ थे छोटे-छोटे हिन्दू राजे जो बाद में मुसलमानों के अंकित हो गये। उसी प्रकार मध्यस्थों में वे लोग भी शामिल थे जो कि पूर्व में ग्रामों के मुखिया थे और जिनके साथ ग्रामों का बन्दोबस्त हुआ था। उसी प्रकार ग्रामों के काश्तकार या ठेकेदार जो कि बाद में इजारेदार कहलाये उन्होंने भी अपने ऊपर मालगुजारी अदायगी की जिम्मेदारी ले ली और वे भी मध्यस्थ हो गये। ऐसे इजारेदार या जागीरदार शासन के बड़े बड़े कर्मचारी भी थे और उनकी तनख्वाह की अदायगी उन मौजों के लगान की वसूली से की जाती थी जो कि उनके सुपुर्द किये गये थे। यद्यपि मुगलों के समय में काश्तकारों की ओर उचित ध्यान दिया जाता था और उनसे अनुचित कर अथवा लाग के रूप में वसूली करने की मनाई थी और देश की स्थिति भी अच्छी थी तथापि उसी काल में इन मध्यस्थों की संख्याओं में हिन्दुस्थान में वृद्धि हुई जिसका खास कारण यह था कि मध्यवर्ति शासन धीरे धीरे कमजोर होने लगा था और यह काल था औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात का। संभव है कि उस समय की आवश्यकतानुसार इनकी जरूरत भी हो परन्तु इन मध्यस्थों के बारे में यह बात खास ध्यान देने योग्य है कि इनके साथ जो सम्बन्ध था वह इनके जीवन काल तक ही मर्यादित ही था अथवा जिस राजा ने इनको इस प्रकार की सनदें दी थीं उसके जीवन पर्यन्त, दोनों में से किसी की भी मृत्यु होने के उपरान्त सनदों का पुनरुज्जीवन आवश्यक था। साधारणतः यह सनदें पिता के पश्चात पुत्र को दी जाती थी परन्तु ऐसा कोई नियम नहीं था कि जिसके अनुसार सनदें पुत्र को दी जाने के लिये शासन को या राजा को बाध्य किया जाता। सारांश में हम यह देखते हैं कि, मुगलों के साम्राज्य के अमीर उमरात, जागीरदार तथा दान गृहिताओं का यह जो वर्ग था वही आगे चल कर जमीदार हो गया।

अङ्गरेजी शासन के आरम्भ में इस वर्ग के पास भूमि की मात्रा अधिक थी और इनका काश्तकारों से जो सम्बन्ध था वह निरंकुश था। यद्यपि यह सम्बन्ध निरंकुश था तथापि यह लोग एक प्रकार से लगान वसूल करने वाले थे व मालगुजारी के ठेकेदार थे, और उनका अधिकार उस वसूल की हुई सब रकम पर था जो कि, शासन कोष में मालगुजारी के रूप में जमा करने के पश्चात बाकी रहती थी। यह अधिकार जो लगान वसूल करने का था वह स्वामित्व के अधिकार से भिन्न था यानी यह लोग जो लगान वसूल करते थे स्वामी नहीं थे। स्वामित्व का अधिकार तो वास्तविक में ग्राम पंचायतों में ही था। इसलिये ज़मीदार अथवा ताल्लुकेदार को उसकी जमीदारी अथवा ताल्लुकेदारी से वंचित करने का केवल यही अर्थ था कि, लगान वसूल करने का लाभप्रद अधिकार उसको दिया गया व उस पर जो कमिशन उसे प्राप्त होता था उससे वंचित करना। उसका यह अर्थ कदापि नहीं था कि उसकी काश्त में जो भूमि हो उससे उसको पृथक कर देना। सारांश में उनका कार्य वही था जो कि, आज रैयतवारी प्रथा के ग्रामों में पटेलों का कार्य है।

अंग्रेजी व्यापारी भी जो हिन्दुस्थान में आये उन्होंने भी ईस्ट इण्डिया कंपनी के नाम से जमीदारी रूप धारण कर लिया और लगान वसूली का कार्य किया, उनके हित सम्बन्ध और दीगर मध्यस्थों के हित सम्बन्ध लगभग एक से ही थे। और राजकीय सत्ता जब ईस्ट इण्डिया कंपनी के हाथ में आई उस समय उसने इन इजारेदारों को यानी लगान वसूल करने वालों को और मुगल काल के कर्मचारियों को स्वामी ही बना दिया, और इस प्रकार काश्तकारों की स्थिति लगान देने वाले आसामियों की हो गई और मालगुजारी जो कि शासन को ताल्लुकेदार अथवा जमीदार के मार्फत दी जाती थी वह अब लगान कहलाई जाने लगी।

मध्य भारत के इतिहास पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होगा कि, मराठों द्वारा मालवा में जीते हुये प्रदेश का पेशवा के द्वारा शिन्दे, होल्कर, पवार आदि सरदारों में सन् १७३२ ई० में बटवारा किया गया, उस समय उज्जैन, शाजापुर मन्दसोर आदि विभाग शिन्दे वंश को मिले, उस समय तक मालवा में ग्राम व्यवस्था सम्बन्धी वही पद्धति प्रचलित थी जो मुगलों के शासन काल में कायम थी, परन्तु मराठाशाही स्थापित होते ही उस प्रथा में परिवर्तन किया गया, जो सन् १८५१ तक कायम रही। पूर्व की पद्धति में परिवर्तन होने के कारण राज्य के भिन्न भिन्न भाग ताल्लुके, महाल, परगना, व प्रान्त के नामों से प्रसिद्ध हुये। मालगुजारी वसूल करने की प्रथा जमीदारी पट्टे बन्दी से नहीं थी किन्तु प्रत्येक प्रान्त महाल या ताल्लुके का ठेका जिसमें उस

जगह की मालगुजारी व सायर व सिवाय जमा के व दूसरे अबवाब की रकमें शामिल थीं किसी प्रतिष्ठित या हैसियतदार व्यक्ति को एक नियत समय के लिये दिया जाता था और यह अवधि तीन वर्ष से लगाकर दस वर्ष तक होती थी। ठेकेदार आमतौर पर मामलतदार या कमाविसदार या इजारेदार कहलाते थे, वे लोग जिस रीति पर उचित समझते थे जमीन की आबादी व खेती का प्रबन्ध करके मालगुजारी आदि वसूल करते थे और ठेके के नियमानुसार नियत समय पर किश्त का रुपया अदा करते थे, सरकार की तरफ से कोई अमला या दफ्तर परगनात में नहीं रखा जाता था। ठेकेदारों को वसूल बाकलात का कच्चा कागज सरकार में पेश नहीं करना पड़ता था और न कोई कच्ची कार्यवाही का दाखला सरकार में ही रहता था, ठेकेदार सिर्फ एक कागज ठेके के अनुसार मदवार तैयार करके दाखिल करता था और वह एक आँखी कागज कहलाता था। ठेका नीलाम आदि के द्वारा नहीं दिया जाता था। इस रीति से प्रायः एक ही मनुष्य दीर्घ काल तक महाल या प्रांत का ठेकेदार होता था।

महाराजा जनकोजीराव सिन्धिया, जिनका कार्यकाल सन् १८३२ ई० से सन् १८४३ ई० तक था, में खर्च अधिक होने लगा था और उसके अनुपात से आमदनी में कमी हो गई थी इसलिये उनके पश्चात जो रिजेन्सी कौन्सिल हुई उस कौन्सिल के जमाने में दीवान श्रीमान् सरदार देवराव मामा साहब जाधव तथा प्रेसीडेन्ट श्रीमान् सरदार रामराव बाबा साहब फालके के कार्यकाल में बड़े बड़े मवाजियात का प्रबन्ध जर्ये ठेका जमीदारान को सौंपा गया। यह जमीदारान प्रतिवर्ष वार्षिक रकम सरकार में जमा करते थे और काश्तकारान से जो लगान वसूल होता था उसकी कच्ची फर्द बनाकर सरकार में पेश करते थे। जमीदार की खुद काश्त चरनोई आदि पर कोई लगान कायम नहीं किया जाता था जिसके कारण मुकर्रा सरकारी माल-गुजारी के अलावा हर किस्मी आमदनी बढ़ाने का जमीदार को पूर्ण अधिकार था और यही मुआवजा आबादी व उस्तवारी जो उसको ग्रामों की करनी पड़ती थी उसके बाबत था। मध्यभारत में केवल भूतपूर्व राज्य ग्वालियर का जितना हिस्सा है उसमें ही अधिकायत रूप से जमीदारी प्रथा प्रचलित है, और वर्तमान जमीदारी प्रणाली का प्रारम्भ यहीं से होता है, यथा सम्भव ठेके के पट्टे की मियाद समाप्त होने पर दूसरा पट्टा उसी जमीदार को दिया जाता था। परन्तु सर दिनकरराव ने पट्टे देने के सम्बन्ध में सन् १८५३ ई० संवत १९११ में नियम बनाये जिसके अनुसार पूर्व में जिन मुखियों को ठेके पर ग्राम दिये गये थे उन्हीं को जमींदार बना दिया जाकर पट्टे दिये गये, परन्तु इस समय तक जमींदारियाँ हस्तान्तरित करने के अधिकार उनको प्राप्त नहीं थे। सन् १८६३ यानी संवत् १९२० में श्री० टेमक साहब

द्वारा मवाजियात का बन्दोबस्त किया जाकर पट्टे तकसिमी की कार्यवाही की गई और जिन जमीदारान ने नियत आंक पर पट्टा लेने से इन्कार किया उनके पट्टे दूसरे लोगों को दिये जाकर उनको मुस्ताजर कहा गया व साबिक जमींदार को यह हक्क दिया गया कि वह आयन्दा बन्दोबस्त में अपना हक्क वापिस ले सकता है। व मुस्ताजर को यह हक्क दिया गया कि यदि साबिक जमींदार अपना हक्क नियत अवधि के अन्दर वापिस न लें तो वे मालगुजारी से दुगना नजराना सरकार में दाखिल करने पर जमींदारी हक्क प्राप्त कर सकेंगे। यद्यपि इस समय जमीदारों को जमीदारियाँ हस्तान्तर करने के कोई अधिकार नहीं थे तथापि इस प्रकार के इन्तकाल होने के शेरे समय समय पर दिये हुये पट्टों पर दर्ज हैं।

वास्तविक आधुनिक राज्य प्रबन्ध प्रणाली की बुनियाद सर दिनकरराव ने गवालियर में डाली, उन्होंने मुल्क की आबादी व मालगुजारी बढ़ाने की चेष्टा की व ठेकेदारी प्रथा को तोड़कर कुल रियासत को तीन प्रान्तों में विभक्त किया और इन प्रान्तों को जिलों और परगनों में कायम किया। आफिसरान वैतनिक नियुक्त किये और प्रत्येक ग्राम की अलग-अलग जमा बन्दी तैयार कराई, व संवत १९१३ यानी सन् १८५३ में बीस साला बंदोबस्त के पट्टे जमीदारान को दिये गये, अब जमीदारान को यह आवश्यक था कि वह गांव वार वसूल बासलात का कच्चा कागज सरकार में दाखिल करते, सर दिनकरराव ने ही कानून बनाने की प्रथा प्रचलित की। सन् १८७२ में यानी संवत १९३२ में जमीदारी पद्धति के सम्बन्ध में कुछ नियम भी इन्होंने बनाये जो कानून दरबार के नाम से प्रसिद्ध है। संवत १९३७ में मनोतिदारी पद्धति का भी प्रचलन यहां था जिससे जमीदारान के बदले मनोतिदारान ही वैधानिक रूप से मालगुजारी अदायगी के जिम्मेदार करार दिये गये थे। संवत १९३९ यानी सन् १८८२ ई० में महाराजा जयाजीराव साहब ने सर दिनकरराव के बीस साला बंदोबस्त समाप्त होने के पश्चात सर मायकेल फिलोज के निरीक्षण में जमीन की पैमायश कराई। श्रीमंत माधव महाराज के बाल्य काल में कौन्सिल आफ रिजेन्सी ने एक विभाग कायम किया, जिसके सिपुर्द जमीन के बंदोबस्त व पैमायश के कार्य किये गये। सन् १८९० ई० में कानून माल बनाने की व्यवस्था की गई व सन् १८९५ में यानी संवत १९५२ में प्रथमतः कानून मुकद्दमात माल तैयार हुआ। कै० माधव महाराज को राज्याधिकार प्राप्त होने पर बोर्ड आफ रेव्हेन्यू की स्थापना की गई व चौधरी वगैरे की प्रथा को समाप्त किया जाकर रजिस्ट्रार कानूनगो व गिर्दावर कानूनगो वैतनिक प्रत्येक परगने के लिये नियुक्त किये गये। संवत १९५२ के पश्चात संवत १९६१ में कानून माल के नाम से एक स्वतन्त्र विधान

तैयार हुआ, जिसके अनुसार ग्राम व्यवस्था तथा कर वसूली का प्रबन्ध होता था। संवत १९६१ का कानून माल बनने के पूर्व संवत १९५५ में जमीदारों को जमीदारियां हस्तान्तर करने के अधिकार प्रदान किये गये व एक विधान कवायद दरबारे अताये इजाजत बाबत इन्तकाल हुकूक जमींदारी बजर्ये बय या रहन स्वीकृत किया गया।

संमत १९६१ के पूर्व काश्तकारों को कोई अधिकार नहीं थे। परन्तु इस नये विधान के अनुसार उनकी बारा वर्ष की मुसलसिल जोत पर व अन्य परिस्थिति में मौरूसी हक्क प्रदान करने बाबत सुविधाएँ दी गई, संमत १९६१ के पश्चात संवत १९८३ में वर्तमान कानून माल प्रचलित हुआ जिसके अनुसार केवल मौरूसी, साकितुल मिल्कियत, मामूली मौरूसी काश्तकारान को उनके खाते हस्तान्तर करने के अधिकार प्राप्त हुये तथा मुस्ताजरी प्रथा भविष्य के लिये बंद की गई। संमत २००५ में कानून माल की धाराएं ३१८ तथा २५२ में संशोधन होकर समस्त कृषक वर्ग को उसकी जोत की जमीन पर स्थायी अधिकार दिये गये, इस प्रकार संक्षेप में ग्वालियर में जहां की यह जमीदारी प्रथा प्रचलित है जमीदारी वर्ग तथा काश्तकारों के अधिकारों का इतिहास है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि जमीदारों ने राष्ट्र के हित में जो देश की भूमि उनके संरक्षण में दी गई थी उसका उचित उपयोग नहीं किया। किसी भी कसौटी पर कसने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जमीदारी पद्धति से कोई लाभ नहीं हो सकता, व इसलिये उसकी समाप्ति अत्यन्त आवश्यक है। काश्तकार और जमीदारों के सम्बन्ध उस समय में भले ही उत्तम रहे हो जब कि इस प्रथा का प्रारम्भ हुआ था परन्तु धीरे धीरे इनके हित सम्बन्धों में इतनी कटुता उत्पन्न हुई कि जिसका प्रभाव उत्पादन पर तथा कृषक वर्ग की आर्थिक स्थिति पर पड़ने लगा अतएव न्याय व विचार की दृष्टि से इस प्रथा की सम्पूर्ण समाप्ति होना आवश्यक है।

प्रकरण २

क्षतिपूर्ति :: मुआवजा ::

पूर्ण विचार करने के पश्चात कमेटी का यह मत है कि, मध्य भारत में जमीदारी प्रथा को तुरन्त समाप्त कर दिया जावे, Terms of Reference क्रमांक ३ के अनुसार यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि, यदि तुरन्त जमीदारी समाप्त करना हो तो जमीदारों को मुआवजा दिया जाना चाहिये या नहीं।

प्रास्ताविक

भूतपूर्व गवालियर राज्य की प्रजा सभा की बैठक में दिनांक १० जनवरी सन् १९४८ में श्री, गौरीशंकर श्रीवास्तव ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि, "यह सभा शासन की सेवा में अनुरोध करती है कि, जमीदारी प्रथा का न्यायोचित ढंग से अन्त कर दिया जावे"।

श्री, विनायकराव वैद्य ने इस प्रस्ताव पर एक संशोधन प्रस्तुत किया कि, "न्यायोचित ढंग से" शब्दों के आगे "बिला मुआवजा" शब्द और बढ़ा दिये जावें।' संशोधक महाशय ने अपने समर्थन में इस बात पर जोर दिया था कि, जमीन से जो पैदावार होती है उस में से किसान और सरकार के अतिरिक्त कोई दूसरा समुदाय अथवा व्यक्ति फायदा नहीं उठा सकता है। अन्त में संशोधक महाशय ने यह जोर दिया कि, सामाजिक, राजनैतिक और नैतिक दृष्टिकोण से भी कोई मुआवजे की आवश्यकता नहीं है, इस समय तत्कालीन शासन की ओर से यह आश्वासन दिये जाने पर कि, शासन स्वयं इस बात के लिये प्रयत्नशील है कि, जमीदारी प्रथा को रैयतवारी में बदल दिया जावे व इस संबंध में योजना बनाने के लिये एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की जा रही है, प्रस्तावक महोदय ने उक्त प्रस्ताव वापिस ले लिया।

भूतपूर्व राज्य गवालियर की राज सभा में भी इसी प्रकार दिनांक ७ जनवरी सन् १९४८ को श्री, सौभाग्यमलजी जैन द्वारा यह प्रस्ताव रक्खा गया कि, "यह सभा शासन की सेवा में अनुरोध करती है कि, गवालियर राज्य में जमीदारी प्रथा समाप्त की जावे तथा उसके संबंध में विस्तृत योजना बनाने के लिये राजसभा के पाँच सदस्यों की एक उप समिति बनाई जावे," इस प्रस्ताव को कई माननीय सभासदों ने अनुमोदन दिया किन्तु तत्कालीन माल सचिव श्री, माधवराव फालके ने शासन की

ओर से यह आश्वासन दिया कि, एक विशेषज्ञ कमेटी नियुक्त की जा रही है, जिसमें इस सभा के कुछ सदस्यों को सम्मिलित किया जावेगा। इस प्रकार आश्वासन मिलने पर प्रस्तावक महोदय ने इस प्रस्ताव को वापिस ले लिया।

जमींदारों की जमीदारियां राजसात करने पर मुआवजा दिया जावे अथवा नहीं, इस प्रश्न पर जो प्रश्नावली इस समिति की ओर से प्रकाशित की गई थी उसके उत्तर प्राप्त हुये हैं। उनको देखने से यह प्रतीत होता है कि, यद्यपि अधिकांश उत्तर दाताओं ने यह मत प्रगट किया है कि मुआवजा देकर ही जमीदारियां समाप्त होनी चाहिये तथापि कतिपय सज्जनों ने यह भी मत प्रगट किया है कि, मुआवजा देने की कोई आवश्यकता नहीं।

बिला मुआवजा जमीदारी प्रथा समाप्त करने का पक्ष समर्थन करने वाले अपने पक्ष के समर्थन में ऐतिहासिक दृष्टांत उपस्थित करते हैं। उनका कहना यह है कि, इतिहास का अध्ययन करने से ज्ञात होगा कि, पूर्व काल में बिला मुआवजा दिये मध्यस्थों Intermediaries के अधिकारों पर आक्रमण किये गये हैं। मुगलों के समय में जागीरदार तथा इजारेदार के अधिकार, दाता अथवा दान गृहिता की मृत्यु पर समाप्त होते थे। तेरहवीं शताब्दि में अल्लाउद्दीन खिलजी ने लगान वसूल करने वाले मध्यस्थों को समाप्त कर दिया और उनके बजाय कृषकों से लगान वसूल करने की प्रथा प्रचलित की थी। अकबर ने भी रैयतवारी व्यवस्था को ही अपनाया था। सन् १७११ लगायत १७२६ तक जाफरखां ने कई जमीदारों को च्युत किया। इसी प्रकार अवध के नवाब सादतअलीखां ने भी कई जमीदारों को च्युत किया। जिसका समय सन् १७९८ लगायत १८१४ है। बहुत से जमीदारों को जमीदारी हक्क मुफत मिले हैं। और बिना प्रयास के होने वाले लाभ के रूप में उन्होंने बड़ी-बड़ी रकमें पैदा करली हैं, और आज भी लगान वसूल करने के अतिरिक्त उनका और कोई कार्य नहीं है।

भारत सहकारिता और सहयोग के आधार पर नवीन समाज की रचना का प्रयत्न कर रहा है। व्यक्तियों के विशेष हितों की ओर ध्यान न देकर समिष्टि के विकास के लिये प्रयत्न करना हमारा ध्येय है। किन्तु इस ध्येय की पूर्ति के लिये समस्त व्यक्तियों के पूर्ण विकास का प्रयत्न करना आवश्यक है, और इसी कारण सब का सहयोग आवश्यक है। यह सहयोग प्राप्त होने पर ही सबको अपनी उन्नति का समान अवसर प्राप्त होगा। अतः किसी विशेष हित को समाप्त करना अथवा उसकी उपेक्षा करना न हमारी परंपरा है और न हमारी संस्कृति के अनुरूप ही है।

जमीदारी एक निजी संपत्ति है। व उसको आज वैधानिक स्वरूप है। ऐसी अवस्था में उसकी समाप्ति मुआवजा देकर ही होना उचित प्रतीत होता है, मुआवजा

देना इसलिये भी आवश्यक है कि, लोकतंत्र में किसी वर्ग की उपेक्षा नहीं की जा सकती, इसलिये इस वर्ग को भी सहायता रूप कुछ धन दिया जाना आवश्यक है कि जिससे वह जमीदारी समाप्ति के पश्चात् स्वावलंबी बन सके। आचार्य नरेन्द्रदेव जैसे विद्वान समाजसत्तावादी नेता का मत है कि इस समय देश की परिस्थिति तथा अवस्था को देखते हुये जमीदारी प्रथा को मुआवजा देकर ही समाप्त करना व्यवहार्य होगा। यह मत श्री० आचार्य ने संयुक्त प्रान्त की जमीदारी उन्मूलन कमेटी के सन्मुख जो साक्ष दी थी उसमें प्रगट किया था।

मुआवजे संबंधी प्रश्न

अब महत्व का प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि, यदि मुआवजा देकर ही जमीदारी समाप्त करना उचित है तो मुआवजा किस प्रकार निश्चित किया जावे। इस संबंध में विचार करने पर कई प्रश्न उपस्थित होते हैं। सर्व प्रथम तो यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि, जिन मध्यस्थ लोगों के अधिकार समाप्त होने वाले हैं उनको मुआवजे का आकार किन सिद्धान्तों के अनुसार निर्धारित किया जावे। क्या जिनके अधिकार लिये जा रहे हैं केवल उनका ही विचार किया जावें अथवा शासन की आर्थिक शक्ति का भी विचार होना आवश्यक है। प्रत्येक जमीदार को एक समान दर से मुआवजा दिया जावें ? यदि समान दर से मुआवजा दिया जाना योग्य न हो तो क्या जमीदारों के वर्ग बनाये जावें ? यदि वर्ग बनाये जावें तो किस आधार पर ? भिन्न भिन्न वर्गों को किस प्रकार व किस दर से मुआवजा दिया जावे ? क्या संयुक्त कुटुम्ब पद्धति जो हिन्दू समाज में है उसपर खास विचार करने की आवश्यकता है। वैसे ही उन जमीदारियों में जिनको कि, खरीदा गया है अथवा उनमें जा कि दान या उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुई हैं कोई अन्तर मुआवजा देते समय किया जावे ? हाल ही में खरीदी हुई जमीदारी के लिये अधिक दर से मुआवजा देने की आवश्यकता है क्या ? यदि खुद काश्त जमीदारों के कब्जे में बदस्तूर रहने दी जावें, तो खुद काश्त पर मुआवजा देने की आवश्यकता है ? बैंक अथवा अन्य संस्थाएँ यदि जमीदार हो तो उनके साथ दूसरे प्रकार का व्यवहार करना चाहिये या नहीं, व बन्दोबस्त की अवधि का प्रभाव मुआवजे पर होना चाहिये अथवा नहीं ? इस प्रकार के कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं और उनका निराकरण आवश्यक है।

मुआवजे के संबन्ध में प्रश्न पत्रिका के आधार पर जो उत्तर प्राप्त हुये हैं उसमें कतिपय सज्जनों ने यह मत दिया है कि, पूरी दर से मुआवजा मिलना चाहिये। कुछ तो इस से भी आगे बढ़ गये हैं। और वह मुआवजे के अतिरिक्त १५ प्रतिशत रकम की मांग करते हैं। क्योंकि जमीदारी हक अनिवार्य रूप से लिये जा रहे हैं।

कतिपय सज्जनों का 'पूरी दर' से अभिप्राय यह है कि, यदि वह रकम कहीं और लगा दी जावें तो उतनी ही आमदनी हो। जितनी इस समय जमींदारी से होती है। अन्य कई सज्जनों का पूरी दर से अभिप्राय बाजारू भाव से है। कमेटी इन दोनों मतों से सहमत नहीं है।

भूमि के स्वामी होने के नाते जमींदारों ने संपत्ति का बहुत बड़ा भाग अपने पास रक्खा है। उसके संबंध में पूर्व में ही आलोचना की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में यदि उन्हें आज जमीन का बाजार भाव Market Rate दे दिया जावे तो यह अवश्य है कि भविष्य में उनकी जमीन की कीमत बढाने तथा बड़े पैमाने पर काश्त होने के कारण बिना प्रयास प्राप्त होने वाली आमदनी समाप्त हो जावेगी। परंतु इस समय जो आमदनी बिना प्रयास उन्हें आज प्राप्त होती है वह निश्चित रूप से प्राप्त होती रहेगी, और इसके अतिरिक्त लगान वसूली की झंझटों से भी जमींदारान बच जावेंगे।

बाजारू दर अथवा पूरी दर,

पूरी दर अथवा बाजार भाव में कमेटी की राय में खास अन्तर नहीं है। न्याय की दृष्टि से अथवा व्यापारी दृष्टि से भी उसी दर को पूरी दर माना जावेगा जो कि बाजार भाव होगी व कई उत्तर दाताओं का अभिप्राय भी पूरी दर से बाजारू दर का ही है।

बाज़ारू दर अथवा बाजारू मूल्य निर्धारण की आपत्तियाँ

बाजारू दर अथवा बाजारू मूल्य का सबसे प्रथम तो मालूम करना ही इस समय कठिन है, कारण जबकि जमींदारी प्रथा का ही अन्त हो रहा है तो ऐसे समय में जमींदारियों का बाजारू मूल्य भी बहुत कम हो गया है। व इस दर से मुआवजा देने में जमींदारों को ही नुकसान है। यदि पूर्व में जमींदारियों का बाजारू मूल्य क्या था इसका विचार किया जावे तो उसमें सब जमींदारों के साथ समानता का व्यवहार नहीं हो सकेगा। Land Acquisition Act के अनुसार मोटे तौर पर बाजारू मूल्य निश्चित करने के दो प्रकार हैं। एक प्रकार यह है कि भूमि से होने वाली वास्तविक या असली आमदनी निश्चित करके और फिर उसका पूंजीकरण करके रकम स्थिर करना, ताकि वह रकम यदि किसी दूसरे व्यापार में लगाई गई होती तो भी उससे उतनी ही आमदनी होती। दूसरा प्रकार आपसी तौर पर जो मूल्य निश्चित किया जाता है उसको मानने का है। आपसी तौर पर बिक्री में जमीन का जो मूल्य आंका जाता है उसका आधार केवल उस समय की ही आमदनी नहीं होती है अपितु भविष्य की या उस संभव आमदनी का भी विचार

किया जाता है जिसको ठीक ठीक प्रकार से निश्चित करना कठिन है, इसको हिसाब लगाने के लिये सर्वत्र लागू होने वाला नियम या कोई निश्चित विधि तो किसी भी प्रकार से स्थित नहीं किया जा सकता है, इसमें इतने अधिक अस्पष्ट, अनिश्चित तथा अनगिनत विषय शामिल हैं कि अन्तिम जांच के पश्चात संभव आमदनी का हिसाब केवल मत का ही प्रश्न रह जावेगा। इसका सही होना संबद्ध अफसर के ज्ञान, अनुभव और उसकी राजनीतिक कुशलता पर निर्भर करेगा। इस लिये जब तक संभव आमदनी का निश्चय नहीं हो जाता बाजारू मूल्य निर्धारित करने की यह रीति सर्वथा अयोग्य ही सिद्ध होगी, क्योंकि सूद की चालू दर पर वर्तमान आमदनी के पूंजीकरण से असमान परिणाम निकलेंगे। कुछ मामलों में यह भूमिसंपत्ति के असली मूल्य से बहुत अधिक होगी और कुछ मामलों में उससे बहुत कम, उदाहरण के लिये जिस आमदनी का हिसाब लगाया गया है उसके पहले यदि कुछ बुरे वर्ष रहे हों या खेती नष्ट हो गई हो तो इससे जोत का बहुतसा रकबा जोत से निकल जायगा। और आमदनी घट जायगी व इस हालत में वर्तमान आमदनी औसत आमदनी के बराबर नहीं होगी। और असाधारण रूप से कम आमदनी के आधार पर किये पूंजीकरण से संपत्ति के वास्तविक मूल्य से कम मूल्य मापन होगा।

यद्यपि Land Acquisition —भूमि अवाप्त करने की कार्यवाही में अलग ही तरीका अपनाया जाता है, फिर भी किसी कारण से मुआवजा निर्धारित करने वाले अफसर को विवेक का उपयोग करने का अधिकार प्रचुर मात्रा में दिया गया है, यह अधिकार इतनी मात्रा में इसलिये दिया गया है कि, मुआवजा निर्धारित करने वाला अफसर उसका इसलिये उपयोग करे कि, जिससे उन सम्पूर्ण बातों पर भी विचार हो जावे जिसका विचार आपसी बिक्री के समय खरीददार स्थानीय ज्ञान अथवा व्यापारिक अनुभव के आधार पर सम्भव आमदनी व भावी मूल्य का मोटा हिसाब लगाने में समर्थ होता है, इस प्रकार से भावी आमदनी का विचार करके मूल्य अथवा मुआवजा निर्धारित करने के सम्बन्ध में कानून हुसूल आराजी में बहुत ही कम विचार किया गया है।

दूसरा प्रकार बाजारू मूल्य निश्चित करने का यह हो सकता है कि, खुश-खरीदी मे जो मूल्य वास्तविक में दिया गया हो उस पर से औसत मूल्य का वास्तविक आमदनी के अपवर्त्य Multiples के रूप में हिसाब लगाया जाय, वर्तमान आमदनी को बाजारू मूल्य का हिसाब लगाने के लिए आधार बनाने में कुछ कठिनाइयाँ हैं, यह अवश्य है कि, यह कठिनाइयाँ कुछ हद तक अपवर्त्यों Multiples को अपनाकर दूर की जा सकती हैं, परन्तु यह अपवर्त्य सब जमीदारियों के लिये एकसे लागू नहीं किये जा सकते, और भिन्न भिन्न प्रकार से लागू करने पर

औसत बिक्री के दाम से उस मूल्य का पता चलेगा जो एक दूरदर्शी खरीददार वास्तव में उस क्षेत्र की भूमि के लिये देगा। इसलिये वास्तविक आमदनी के अपवर्त्य के रूप में औसत बिक्री का मूल्य मोटे तौर पर बाजारू मूल्य के लगभग हो जावेगा।

यह भी स्पष्ट है कि, आज तक जमींदारों ने काश्तकारों से वसूल की हुई रकम में से खेती की उन्नति के लिये अथवा उत्पादन बढ़ाने की ओर बहुत ही तुच्छ अंश का उपयोग किया है। ऐसी स्थिति में यह फाजील रकम जमीदारों के पास रही, वह एक अर्थ में निरर्थक ही रही है। यदि यह सब रकम मुआवजे के रूप में जमीदारों को दी जावे तो उसका यह अर्थ होगा कि, काश्तकारान की कमाई जमीदारों के हाथ चली जावेगी व उसका न तो खेती के लिये ही उपयोग होगा और न ग्राम सुधार की ओर। जमीदारों का यह कर्तव्य था कि, वह ऐसी रकम का अधिकांश भाग खेती तथा किसानों की उन्नति में खर्च करते, परन्तु अधिकतर जमीदारों ने वैसा नहीं किया।

जमीदारी समाप्ति लेन्ड एक्वीझिशन नहीं है,

बाजारू भाव से क्षतिपूर्ति करने का समिति का मत इसलिये भी नहीं है कि, वैसा करने से आज की भूमि कर प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं हो सकेगा। रहा प्रश्न जाबराना का तो बाजारी मूल्य तथा जाबराना उसी समय दिया जाता है जबकि, लेन्ड एक्वीझिशन एक्ट द्वारा भूमि अवाप्त की जाती है। लेन्ड एक्वीझिशन एक्ट के ताबे भूमि अवाप्त करना यह एक केवल व्यापारिक कार्य है, व उसकी तुलना समस्त जमीदारियों को समाप्त करते समय नहीं की जा सकती है। यह सम्भव है कि, जमीदारी से थोड़ी जमीन लेने पर बाजारू भाव से उन्हें मुआवजा दिया जावे व मुआवजे के अतिरिक्त १५ प्रतिशत जाबराने की रकम भी दी जावे, परन्तु जबकि समस्त जमीदारियाँ ही लेने का प्रश्न उत्पन्न होता है उस समय न तो मुआवजा या जाबराना उस प्रकार दिया ही जा सकता है और न ऐसा दिया जाना योग्य ही है। एक महान् आर्थिक सुधार की जो कि समाज के लिये अत्यन्त आवश्यक हो तुलना व्यक्तिशः व्यापारिक सम्बन्ध अथवा कार्यों से नहीं की जा सकती।

लेन्ड एक्वीझिशन एक्ट के ताबे अव्वल तो जमीदारियाँ समाप्त ही नहीं की जा रही हैं, और इसलिये मुआवजा जमीन का देने के सम्बन्ध में जो नियम निर्धारित किये गये हैं उनको न तो अपनाया जा सकता है और न उनके सिद्धान्त पर मुआवजा ही स्थित किया जा सकता है, लेन्ड एक्वीझिशन एक्ट के ताबे भूमि अवाप्त की जाती है, और भूमि का बाजारू मूल्य से मुआवजा दिया जाता है, परन्तु

जमीदारी समाप्त करना यानी भूमि अवाप्त करना नहीं है, इसमें जिसके पास जो भूमि है वह बदस्तूर उसीके पास रहेगी। केवल आज जो जमीदारों के अधिकार हैं वह समाप्त किये जा रहे हैं और उन अधिकारों का ही मुआवजा निर्धारित किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में जमीन की कीमत अथवा बाजारू मूल्य व इसी प्रकार के अन्य प्रश्न जमीदारियाँ समाप्त करने के समय उठाने की आवश्यकता नहीं है।

मुआवजे का आधार

सबसे महत्व का प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि, मुआवजे का आधार जमीदार जो मालगुजारी देता है वह स्थित किया जावे अथवा जमीदारी से जो लाभ होता है उसको आधार माना जावे, मालगुजारी को आधार मानने में नाना प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, सबसे प्रथम तो तशखीस का दर Percentage सब ग्रामों का एकसा नहीं है, जिससे कम लाभ पाने वालों को अधिक मुआवजा तथा अधिक लाभ पाने वालों को कम मुआवजा मिलेगा। ऐसी स्थिति में मालगुजारी को मुआवजे का आधार मानने का मत कमेटी का नहीं है। मुआवजा तो इसलिये दिया जा रहा है कि, जमीदारों की जो हानि जमीदारियाँ समाप्त होने पर होगी उसकी पूर्ति अंशतः हो, तथा उन जमीदारों को जो कि आज तक केवल लगान ही वसूल करते थे अथवा उन जमीदारों को जिनकी खुदकाश्त नाम मात्र की थी अपनी जीविका उपार्जन करने के लिये अन्य धन्धे करने में सहायक हो। इसलिये मुआवजे का आकार स्थित करने की यही उत्तम रीति हो सकती है कि, उनकी कुल आय Gross Assets मालूम करके उसमें मालगुजारी तथा जमीदारी की व्यवस्था का खर्च घटा दिया जावे व इस प्रकार उनकी वास्तविक आमदनी Net Assets मालूम की जाकर उसके आधार पर मुआवजा नियत किया जावे।

कुल आय

कमेटी की राय में जमीदारी की कुल आय का निश्चय करने के लिये निम्नांकित मद Items की आय सम्मिलित करनी चाहिये।

१--काश्तकारों से जो लगान नग्दी प्राप्त होता है।

२--यदि लगान जिन्स के रूप में वसूल होता हो तो उस भूमि का लगान बन्दोबस्त के रेट अनुसार कायम करके।

३--बिला लगानी या रिआयती लगानी आराजी का लगान व हिसाब रेट बन्दोबस्त। परन्तु बिला लगानी आराजी का लगान निश्चित करते समय केवल मजरुआ भूमि का लगान कायम किया जावे।

४—सिवाय आमदनी जो मौजे के स्याहा में दर्ज हो। पिछले तीन वर्ष का औसत यानी संवत २००२ लगायत सं० २००४ की आमदनी का। रकम सिवाय में केवल उन्हीं अबवाब की आमदनी शामिल होगी जो अबवाब कि बन्दोबस्त में सिवाय जमा के करार दिये हों।

वास्तविक मुनाफा

इस प्रकार पूर्ण आमदनी मालूम करने के पश्चात वास्तविक मुनाफा मालूम करने के लिये पूर्ण आमदनी में से निम्न रकमें घटाना चाहिये।

१—रकम मालगुजारी मय चौकीदारी।

२—लगान वसूली तथा दीगर प्रबन्ध व्यय व नाकाबिल वसूल लगान के बाबत पूर्ण आमदनी की १० फीसदी रकम।

बंदोबस्त के अवधि का वास्तविक मुनाफे पर प्रभाव

यह साधारण अनुभव की बात है कि बन्दोबस्त के पश्चात जितना अधिक समय व्यतीत होता है उसके कारण निकासी तथा मालगुजारी में जो अनुपात बन्दोबस्त के समय होता है, उसमें पर्याप्त अन्तर पड़ जाता है। ऐसी अवस्था में यदि सभी मौजे के लिये एक ही सिद्धान्त खालिस आमदनी (वास्तविक मुनाफा) मालूम करने के लिये लागू किये जावें तो असमानता उत्पन्न हो जावेगी। पूर्ण आय में जो मालगुजारी का अनुपात है उसमें दूसरी चीजों के साथ साथ जिस अवधि में बंदोबस्त लागू रहा है उससे भी अन्तर आ जाता है, जैसे कि जहाँ अवधि लम्बी है वहाँ अनुपात भी ऊँचा है। लगान के असमान रूप से बढ़ने का एक यह भी कारण है कि कुछ जमींदारों ने दूसरों के मुकाबले में किसानों के साथ नर्मी का बर्ताव किया, व किसानों के हितों का विचार किया, जिसके कारण उनकी लगान की रकम दूसरे जमींदारों के समान नहीं बढ़ी जिन्होंने कि, लगान को बढ़ाकर अधिक फायदा उठाया। इसलिये यदि खालिस आय मालूम करने के लिये केवल मालगुजारी ही कम कर दी जावे तो उस का यह अर्थ होगा कि जिन जमीदारान ने अपने किसानों के लगान में वृद्धि करके उनसे अधिक वसूल किया उनको मुआवजा अधिक मिलेगा तथा उन जमीदारान को जिन्होंने अपने किसानों का ख्याल रख कर लगान नहीं बढ़ाया है, वे कम मुआवजा पावेंगे। इस प्रकार मुआवजा कायम करने का सिद्धान्त उचित नहीं होगा। अतएव वास्तविक मुनाफा मालूम करने के लिये बन्दोबस्त की अवधि का विचार करना आवश्यक है। यदि बन्दोबस्त की अवधि जो पूर्व में इन मौजों की स्थित थी वह समाप्त हो चुकी हो व निकासी बढ़ गई हो तो बन्दोबस्त का परसेन्टेज प्रचलित मालगुजारी के कायमी के लिए लागू किया गया है उस परसेन्टेज

से वास्तविक मुनाफा मालूम करने के लिये, मालगुजारी बरामद मौजूदा निकासी पर करके घटाई जावेगी। उदाहरणार्थ परगना सरदारपुर की मियाद बन्दोबस्त संवत् २००५ तक थी। परन्तु बाद में इस मियाद में वृद्धि करके यह मियाद संवत २०१४ तक कायम की गई। इसलिये परगना सरदारपुर के मवाजियात की वास्तविक आमदनी मालूम करने के लिये उन मवाजियात की जो मौजूदा निकासी होगी उस पर मालगुजारी उस परसेन्टेज के हिसाब से कायम की जावेगी कि जिस परसेन्टेज के हिसाब से पुराने बन्दोबस्त में मालगुजारी कायम की गई थी व इस प्रकार जो मालगुजारी मौजूदा निकासी पर प्राप्त होगी उसी को कुल आय में से घटाया जावेगा न कि उस मालगुजारी को जो आज दी जा रही है।

चंदोबस्त की अवधि के अनुसार वास्तविक मुनाफे में कमी

इसी प्रकार यदि बन्दोबस्त की संपूर्ण मियाद समाप्त न होकर कुछ वर्ष आगामी बन्दोबस्त के लिये बाकी हों तो ऐसी अवस्था में भी जो मालगुजारी दी जा रही है उसमें व निकासी के अनुपात में अन्तर पड़ जाता है। उदाहरणार्थ यदि बन्दोबस्त के पश्चात निकासी बढ़ जाती है तो मुनाफा भी बढ़ जाता है, व यह मुनाफा जिसका लाभ जितनी मात्रा में जमीदार आज उठा रहा है, न उठा सकेगा, यदि उस मौजे का बन्दोबस्त आज ही कर दिया जावे, परन्तु मियाद बन्दोबस्त की बाकी होने से वैसा नहीं किया जा सकता। इसलिये प्रचलित बन्दोबस्त की जितनी अवधि हो गई है, उस अवधि के अनुसार जो अधिक मुनाफा जमीदार उठा रहा है, उस अधिक मुनाफे का अनुपात वास्तविक आय में से और कम कर देना होगा। व इस प्रकार जो रकम बाकी रहेगी उसी को मुआवजे के लिये आधार माना जावेगा। बन्दोबस्त की अवधि के अनुसार वास्तविक मुनाफे का जो अनुपात कम किया जावेगा वह निम्न प्रकार से होगा।

(१) यदि बन्दोबस्त की जो अवधि है उसमें से १ : ६ अवधि हो चुकी हो किन्तु १ : ३ से कम हो तो अधिक मुनाफे का............१ : ६ भाग।
(२) बन्दोबस्त की १ : ३ अवधि समाप्त हो चुकी हो परन्तु १ : २ से कम हो तो अधिक मुनाफे का..................................१ : ३ भाग।
(३) बन्दोबस्त की १ : २ अवधि समाप्त हो चुकी हो परन्तु २ : ३ से कम हो तो अधिक मुनाफे का..................................१ : २ भाग।
(४) बन्दोबस्त की २ : ३ अवधि समाप्त हो चुकी हो परन्तु ३ : ४ से कम हो तो अधिक मुनाफे का..................................२ : ३ भाग।
(५) बन्दोबस्त की ३ : ४ अवधि समाप्त हो चुकी हो परन्तु पूर्ण अवधि समाप्त न हो तो अधिक मुनाफे का.........................३ : ४ भाग।

इस अनुपात का स्पष्टीकरण एक काल्पनिक उदाहरण लेकर करना उचित प्रतीत होता है, जिससे इस अधिक रकम का जो बन्दोबस्त के व्यतीत वर्षों के अनुपात से कम की जाती है स्पष्टीकरण हो सके। मान लीजिये कि, एक गाँव का मुनाफा जो इस समय होता है, यानी निकासी में से मालगुजारी घटाने पर वह ५०० रु० है। यदि आज ही इस गाँव का बन्दोबस्त किया जावे तो निकासी अधिक हो जाने के कारण मालगुजारी भी अधिक होगी व मुनाफा कम हो जावेगा अतएव यदि अभी बन्दोबस्त किया गया तो मान लीजिये कि मुनाफा ३५० रु० रह जाता है, अब जो वास्तविक मुनाफा ५०० रु० हो रहा है, उसमें से यह ३५० रु० घटा दिये जावें व बाकी जो १५० रु० रहेंगे वह अधिक मुनाफा मानकर उनमें से बन्दोबस्त की जितनी अवधि समाप्त हो चुकी हो उस अनुपात से जिसका कि, स्केल ऊपर दिया गया है रकम कम कर दी जावेगी।

मुआवजा निश्चित करने के लिये कोई भी आधार स्थित क्यों न किया जावे उस पर शासन व जमीदारान का मतैक्य होना संभव नहीं है, उचित मुआवजा क्या होगा व उसको किस प्रकार निर्धारित किया जावे इसके लिये कोई मध्य मार्ग निकालने की आवश्यकता है, इस मार्ग को स्थित करते समय इस बात की आवश्यकता नहीं है कि, जमीदारियों का उद्गम तथा जमीदारान के अधिकार व जमीदारों के मध्यस्थ होने के नाते उत्पादन का कितना अंश उनके पास रहा, इस पर विचार किया जावे। हमारी राय में मुआवजा निश्चित करते समय निम्नांकित महत्वों के प्रश्नों पर विचार करना आवश्यक है।

मुआवजा निर्धारण के महत्वपूर्ण प्रश्न

१—जमीदारान की जमीदारियाँ जब समाप्त हो रही हैं तो उनकी जीविका का साधन क्या होगा व उसके लिये क्या व्यवस्था की जावेगी।

२—क्या इस प्रकार जमीदारी लेने पर जो आर्थिक उत्तरदायित्व उत्पन्न होता है उसको वहन करने की शासन में क्षमता है?

जिन जिन लोगों की जमीदारियाँ समाप्त की जा रही हैं उनके हित संबंधों Interests का पूर्ण ध्यान कमेटी को होते हुये भी यह भुलाया नहीं जा सकता है कि, शासन की मुआवजा देने की क्षमता भी एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि, जिस पर यथोचित विचार करना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम मुआवजे की ऐसी दर नियत कर दें कि, जिससे मुआवजे की इतनी अधिक रकम हो जावे जिसे शासन अदा न कर सके तो या तो जमीदारी समाप्ति योजना ही बंद करना होगी अथवा शासन की आर्थिक व्यवस्था को संकट में डालना होगा। परिणाम यह होगा कि,

जिस हानिकारक प्रथा को समाप्त करना है वह न हो सकेगी। व ऐसा होने में जमींदारों का ही नुकसान अधिक होने की संभावना है। व यदि ऐसा न हुआ तो शासन की आर्थिक व्यवस्था ही संकटमय हो जावेगी जिससे केवल जमींदारों का ही नहीं अपितु सारे मध्य भारत का ही अहित होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त मुआवजे में जो धन राशि दी जावे वह इतनी अधिक न होनी चाहिये कि, जिसके कारण आर्थिक विकास करना ही शासन को कठिन हो जावे, जमींदारी समाप्ति का खास उद्देश्य ग्रामीण जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठाना तथा अन्न उत्पादन में वृद्धि करना है।

जमींदारी समाप्ति के पश्चात् शासन को यह आवश्यक होगा कि, ग्रामोन्नति तथा खेती के सुधार पर अधिक से अधिक खर्च करें। जब किसानों का सबंध जमींदारी समाप्ति के पश्चात् सीधा शासन से होगा, उस समय ऐसे अवसर भी जमींदारी पद्धति के समय की अपेक्षा अधिक आवेंगे जबकि कृषकों को सहायता देना आवश्यक होगा, व उसके लिये सदैव शासन को ही अग्रसर होना पड़ेगा। इसके साथ-साथ यह भी उतना ही आवश्यक है कि, मध्यस्थों को भी उचित मुआवजा मिले, उचित से तात्पर्य यह है कि, जमींदारी समाप्ति के पश्चात् इनको मुआवजे की जो रकम दी जावे वह इतनी होनी चाहिये कि, उसकी सहायता से वे जीविका उपार्जन के अन्य उद्योग कर सकें।

छोटे व बड़े जमींदारों के लिये मुआवजे की विभिन्न दर

समिति की प्रश्न पत्रिका के उत्तर देनेवाले तथा समिति के सन्मुख साक्ष देनेवाले अधिकांश सज्जनों ने यह मत प्रगट किया है कि, बड़े बड़े जमींदारों की अपेक्षा छोटे छोटे जमींदारों को अधिक दर से मुआवजा मिलना चाहिये। सबसे अधिक दर सबसे छोटे जमींदारों को मिलना चाहिये। हमारी राय में इस सुझाव में पर्याप्त सार है। पब्लिक फायनेन्स का एक सर्वमान्य सिद्धांत यह है कि, थोड़े आमदनी-वालों के साथ रिआयत की जावे तथा अधिक आमदनीवालों पर अधिक बोझ डाला जावे। आय कर Income Tax का भी यही सिद्धांत है। इस लिये छोटे व बड़े जमींदारों को दी जानेवाली क्षतिपूर्ति में अंतर रखना योग्य ही होगा उपरोक्त सिद्धांत के आधार पर कार्य करने से विभिन्न प्रकार के जमींदारों की आमदनी की विषमता भी अल्पांश में ही क्यों न हो दूर हो सकेगी।

छोटे तथा बड़े जमींदारों के लिये विभिन्न दर नियोजित किये जाने की सिफारिश जो समिति करती है वह इस कारण भी आवश्यक है कि, मुआवजे की दर यदि बड़े जमींदारों के लिये थोड़ी ही रक्खी जावे तो भी पर्याप्त मात्रा में उनको मुआवजे की रकम प्राप्त हो जावेगी। परन्तु इसी दर से यदि छोटे जमींदारों की

क्षतिपूर्ति की गई तो क्षतिपूर्ति की रकम बहुत थोड़ी होगी। और ऐसे छोटे जमीदारों को यानी जो २५० रु० तक ही मालगुजारी अदा करते हैं व जिनकी संख्या आज मध्यभारत में लगभग १०७५६४ है व जो करीब ६१ प्रतिशत है उनको इतनी थोड़ी रकम से जीविकोपार्जन में पर्याप्त सहायता न मिल सकेगी।

इसी प्रकार जमीदारान की खुद काश्त सम्बन्धी जो माहिती एकत्रित की गई है उससे यह प्रगट होता है कि, अलावा उस खुद काश्त के जो बजर्ये शिकमियान कराई गई हो भिन्न भिन्न श्रेणी के जमीदारान की खुद काश्त जो जमीदारी समाप्ति के पश्चात बदस्तूर उनके ही पास रहेगी का औसत उन जमीदारान का जो पचास रुपये तक मालगुजारी देते हैं। लगभग १६ बीधा तथा उन बड़े जमीदारान का जो कि लगभग ५०० रु० या इससे अधिक मालगुजारी देने वाले हैं औसत १५० या १६०बीघा के लगभग आता है। इससे यह स्पष्ट होगा कि, खुदकाश्त की जो भूमि है वह बड़े जमीदारों के पास छोटे जमीदारों की अपेक्षा अधिक होने से जमीदारी समाप्ति के पश्चात् बदस्तूर उनके ही पास रहेगी। मुआवजे के रकम के अतिरिक्त उनकी खुद काश्त की भूमि जो बड़े जमीदारों के पास काफी अधिक मात्रा में रहेगी उसके सहारे उनकी आय भी इतनी होगी कि, उनका जीवन यापन सुचारु रूप से हो सकेगा। इसी प्रकार छोटे जमीदारान के जीवन स्तर में भी कोई ऐसा खास अन्तर पड़ने का अंदेशा नहीं है जब कि, उनकी खुदकाश्त की भूमि बदस्तूर उनके पास रहने ही जाकर मुआवजे का दर भी उनके लिये अधिक से अधिक तजवीज किया जा रहा है।

मुआवजे की दर तथा सिद्धांत

मुआवजा देने के सम्बन्ध में एक और सिद्धान्त कमेटी प्रस्तावित करने की सिफारिश करती है; और वह यह है कि खुद काश्त पर कोई मुआवजा देने की आवश्यकता इसलिये नहीं है कि खुद काश्त का रकबा बदस्तूर जिनकी खुद काश्त थी उनके ही कब्जे में ही रक्खा जायेगा। व उनकी खुद काश्त का लगान बरूये व्हिलेज रेट कायम होकर जिस फीसदी पर वह मौजा जमीदारी में था उस फीसदी को इस रकम में से कम करके लगान कायम कर दिया जायेगा। यानी तशखीस का जो परसेन्टेज होगा उसी के अनुपात से लगान में कमी होगी, जो उस रकम के बराबर होगी कि जितनी रकम वह पूर्व में मालगुजारी में देता था, उदाहरणार्थ एक जमीदार के पास उसके जमीदारी हिस्से की ५० बीघे भूमि है और यह सबकी सब भूमि उसकी खुद काश्त में है। मान लिया जावे कि इस जमीदार को मालगुजारी के रूप में सरकार में ६० रु० भरना पड़ते हैं परन्तु अब जमीदारी समाप्ति के पश्चात्

इसकी खुद काश्त का व्हिलेज रेट से लगान कायम होना चाहिये, अगर व्हिलेज रेट २ रु० फी बीघा के हिसाब से हो तो इस खुद काश्त का लगान १०० रु० कायम होता है, व अब इस १०० रु० में से जमीदारी बंदोबस्त का परसेन्टेज जो कि इस ग्राम के लिये साठ चालीस का है, वह इसमें से कम करने पर ६० रु० ही लगान कायम होगा, जिससे ज्ञात होगा कि उसके खुद काश्त की जमीन उसके पास पूर्ववत रहकर लगान में जो मालगुजारी के हिसाब से फीसदी के रूप में कमी की गई है वह एक प्रकार से मुआवजे के रूप में ही मानी जावेगी। वरना जमीदारी समाप्ति पर साधारण काश्तकार की भाँति इसकी खुद काश्त पर १०० रु० लगान कायम होना चाहिये था। जो अब ६० रु० कायम किया जाकर उसकी पूर्ण खुद काश्त भी उसके कब्जे में रहने दी जावेगी।

जमीदारों का मालगुजारी के आधार पर वर्गीकरण करके मुआवजे की दर जो उनको दी जाना योग्य होगी निम्नांकित है :--

मालगुजारी के आधार पर जमीदारों की श्रेणी		दर मुआवजा यानी वास्तविक मुनाफे का अपवर्त्य
(१)	१०० रु० तक मालगुजारी देने वाले	२० गुना।
(२)	१०० रु० से अधिक ५०० रु० तक देने वाले	१७ गुना।
(३)	५०० रु० से अधिक २००० रु० तक ,,	१५ गुना।
(४)	२००० रु० से अधिक ३५०० रु० तक ,,	१२ गुना।
(५)	३५०० रु० से अधिक ५००० रु० तक ,,	१० गुना।
(६)	५००० रु० से अधिक मालगुजारी देने वाले को	८ गुना।

जमीदारियों का विभाजन तथा संयुक्त हिंदू कुटुम्ब

क्षतिपूर्ति में सबसे अधिक दर सबसे छोटे जमीदारों के लिये जो प्रस्तावित किये गये हैं उसके कारण सम्भव है कि अधिक मुआवजा प्राप्त करने के लिये जमीदारियों का विभाजन हो। इस अवसर पर हिंदू कुटुम्ब का भी विचार करना आवश्यक है, कानून के अनुसार संयुक्त हिंदू कुटुम्ब एक ही माना जावेगा, परन्तु वास्तविकता वैसी नहीं होती है कई शाखाएँ मिलकर एक हिंदू कुटुम्ब बनता है, और जो आमदनी ऐसे कुटुम्ब की होती है वह ऐसे अनेक शाखाओं को मिलाकर जो आमदनी होती है उन सबको मिलाकर होती है, इसलिये यदि संयुक्त हिंदु कुटुम्ब को एक ही मानकर ऐसी आमदनी का विचार किया जावेगा तो यह अधिक संभव है कि, जो संयुक्त कुटुम्ब के मेंबर्स हैं उन पर सख्ती हो जावें,हमारे देश में सर्व साधारण यह नियम है कि,लड़के व

लड़कियाँ अपने पिता व माता के साथ रहते हैं, व एक ही चौके में खाना खाते हैं, मुआवजे के नियोजन के लिये एक बड़े कुटुम्ब का विभाजन भिन्न भिन्न शाखाओं के अनुसार करना योग्य होगा, ऐसी अवस्था में ऐसे संयुक्त हिंदू कुटुम्ब जिन में केवल पिता, माता व पुत्र हो व ऐसे कुटुम्ब जिनमें भाई व उसके लड़के इत्यादि हों भिन्न २ श्रेणी में रखना आवश्यक है, हमारी राय में यदि संयुक्त हिंदू कुटुम्ब में केवल माता, पिता तथा पुत्र ही हो तो वह एक कुटुम्ब माना जावेगा, तथा यदि उसमें भाई व उनके लड़के इत्यादि हो तो जितने भाई हो उतने ही कुटुम्ब माने जाना चाहिये, व आमदनी का विभाजन शाखाओं के अनुसार करके जो आमदनी आवें उस हिसाब से मुआवजे की दर नियत होनी चाहिये।

ज़मीदारियों का बंधुवर्ग में विभाजन होने पर कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है, परन्तु पिता के जीवित रहते हुये पुत्रों में तथा पति ने पत्नी के नाम या पत्नी ने पति के नाम जमीदारियों का विभाजन अधिक दर से मुआवजा प्राप्त करने के उद्देश्य से ही हो सकता है, अतः कमेटी की यह सिफारिश है कि, संवत २००३ के पश्चात जिन जमीदारियों का विभाजन पिता की ओर से पुत्रों को अथवा पती की ओर स्त्री को अथवा स्त्री की ओर से पती को हस्तांतर के कारण हुआ हो वे मुआवजा तजवीजी के लिये अमान्य होंगे।

मुआवजा निर्धारण में अन्य बातों का विचार

मुआवजा निश्चित करते समय जमीदारियां किस प्रकार प्राप्त की गई थीं, अथवा वे किस प्रकार प्राप्त हुई हैं, इसका विचार करना अनावश्यक है, उसी प्रकार आज जो ज़मीदारियां बेंक के पास हैं उनके लिये भी मुआवजे की दूसरी दर नियत करने की आवश्यकता कमेटी को प्रतीत नहीं होती, पूर्ण विचार के पश्चात कमेटी का यह मत है कि साधारण जमीदारों में व बेंक :जमीदार: में मुआवजा निश्चित करने में कोई अंतर करने की आवश्यकता नहीं है।

अब उन जमीदारियों का प्रश्न शेष रहता है जो कि दान धम या खैरात में लगी हुई हैं व जो आज ट्रस्टीज के पास हैं, यदि ऐसी जमीदारियां जप्त की जाती हैं तो जो सामाजिक या धार्मिक कार्य उनकी आमदनी में से हो रहे हैं वे सब बंद हो जावेगें व यदि एकमुश्त नगद मुआवजा उनको दिया गया तो यह संभव है कि, वह जल्दी ही समाप्त हो जावे अथवा उसका दुरुपयोग हो, व इस कारण धार्मिक तथा खेरात के कार्य बंद हो जावेंगे, इस लिये कमेटी की राय में ऐसी जमीदारियों को समाप्त किया जाकर जिस धार्मिक तथा समाजिक कार्य के लिये उनकी आमदनी

उपयोग में आती थी, उन कार्यों के लिये शासन की ओर से वर्षासन बांध दिये जावें जिससे कि वह सामाजिक तथा धार्मिक कार्य पूर्ववत चल सके। परंतु यदि कोई ऐसे ट्रस्ट जमीदारियों के हों कि जिससे केवल वंशजों को ही लाभ होने वाला हो तो उसमें व साधारण जमीदारियों में मुआवजा देते समय अन्तर करने की आवश्यकता नहीं है।

मुआवजा देते समय एक यह प्रश्न भी विचारणीय है कि यदि मुआवजा पाने वाला अवयस्क या किसी व्यवहारिक अक्षमता के आधीन हो अथवा Limited Owner हो तो मुआवजे का वितरण किस प्रकार होना चाहिये, कमेटी का मत ऐसे मामलों में यह है कि मुआवजे की रकम मुआवजा पाने वाले के नाम से किसी बेंक या सोसायटी में जमा कर दी जावे व शासन जिस प्रकार उचित समझे उस प्रकार ऐसे लोगों के लिये वर्षासन नियत करदें।

जमीदारों के अतिरिक्त अन्य मध्यस्थ

भूतपूर्व राज्य गवालियर में जमीदारों के अलावा और भी ऐसे मध्यस्थ हैं जिनकी कि समाप्ति होना आवश्यक है, और वह है मुस्ताजरान व सिपुर्दगीदारान, मुस्ताजरान वे लोग है जिनको कि मवाजियात पूर्व बंदोबस्त में दिये गये थे, और वह इस कारण कि असली जमीदारों ने जो नये बंदोबस्त का आंक कायम हुआ था उस आंक पर मौजा लेने से इन्कार कर दिया था। इसी प्रकार सिपुर्दगीदारान वह मध्यस्थ है, जिनकी सिपुर्दगी में मौजा या मौजे का हिस्सा इस कारण दिया गया था कि असली जमीदार मौजे की मालगुजारी का बकाया दाखिल करने से कासिर रहा, व यह बकाया दूसरे शख्स से लेकर मौजा उसकी सिपुर्दगी में दिया गया, सबसे प्रथम तो मुस्ताजरान का प्रश्न लेने से ही ज्ञात होगा कि इनको जो अधिकार जमीदारी के प्राप्त हुये हैं, वे केवल शासन की कृपा से प्राप्त हुये है। इनसे शासन ने कोई भी रकम न तो नजराने के रूप में अथवा कर के रूप में इस जमीदारी हक्क के बदले में ली है, जिसका कि जमीदारी समाप्त करते समय विचार करना आवश्यक हो, ऐसी अवस्था में कमेटी की राय में मुआवजे का कोई भी अंश मुस्ताजरान को देने की आवश्यकता नहीं है। और न साबिक जमीदार को ही, क्योंकि उनका बंदोबस्त के समय पट्टा लेने से इन्कार कर देना यह अर्थ रखता है कि उन्होंने जमीदारी से त्याग-पत्र दे दिया।

सुपुर्दगी की प्रथा अब समाप्त हो चुकी है, व आज जो सिपुर्दगीदारान हैं उनकी स्थिति भी मुस्ताजरान के समान ही है, अंतर केवल इतना ही है कि इन

सिपुर्दगीदारान से बकाया जो साबिक जमीदार की ओर रहा था दाखिल कराया जाकर मौजे या हिस्से की सिपुर्दगी की गई थी। इसलिये उन लोगों को सिपुर्दगी के समय जो रकम उन्होंने दाखिल की है, उतनी ही रकम मुआवजे के रूप में दी जाना चाहिये और साबिक जमीदारों को मुआवजे का कोई अंश देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनको मौजे की वागुजाश्तगी का हक्क आयन्दा आने वाले बन्दोबस्त के समय धारा १० कानून माल के अनुसार प्राप्त होता है, परन्तु जबकि बन्दोबस्त ही आयन्दा होने वाला न हो व जमीदारियाँ समाप्त हो रही है तो ऐसी अवस्था में उनके आयन्दा आने वाले अधिकारों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

जमीदारियों के अतिरिक्त भूतपूर्व राज्य ग्वालियर में कुछ ऐसे चक व ब्लाक्स हैं, कि जिनमें जमीदारी अधिकार कुछ वर्षों में प्रचलित कवायद चक व ब्लाक्स के अनुसार उत्पन्न होते हैं, इसलिये जमीदारी समाप्ति के साथ साथ यह आवश्यक है कि, इनकी भी ऐसी व्यवस्था की जावे कि इनमें आयन्दा जमीदारी अधिकार किसी को उत्पन्न न हो सके। जिन चक व ब्लाक्स की पूरी आबादी संवत २००६ में मुताबिक शरायत हो चुकी है उनको मुआवजा जमीदारियों के समान नियत किया जावे व जिन चक व ब्लाक्सदारान ने शरायत की खिलाफवर्जी की हो वे खिलाफवर्जी में जप्ती के योग्य होने से कोई मुआवजा पाने के अधिकारी नहीं होंगे।

ऐसे भी चकदारान व ब्लाकदारान होंगे कि जिन्होंने शरायत के अनुसार आबादी करली हो मगर पूरी आबादी न हुई हो, उनको भी जमीदारियों के समान दर से मुआवजा दिया जाना योग्य होगा। सारांश में जितनी आबादी चकदारान ने व ब्लाकदारान ने मुताबिक शरायत की हो, उतने के लिये उनको मिस्ल जमीदार मानकर मुआवजे की दर तजवीज करना योग्य होगा, व यद्यपि शरायत की खिलाफवर्जी में उनके चक भी जप्त किये गये तो भी जो रकबा उनकी खुद काश्त में उस संवत में जिसमें कि उनके अधिकार समाप्त किये जा रहे हों होगा, वह बदस्तूर उनके कब्जे में रहने दिया जावेगा।

प्रकरण ३
मुआवजा देने का प्रकार

मुआवजे का रूप

मुआवजा देकर जमीदारियाँ समाप्त करना यह निश्चित होने के पश्चात् सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो उत्पन्न होता है वह यह है कि, जमीदारान को जो मुआवजा दिया जावे वह किस रूप में दिया जाना योग्य होगा। यदि मुआवजा एकदम नगद दिया जावे तो उसका मुद्रास्फीति Inflation पर तो कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। वैसे ही मुआवजा एकमुश्त न दिया जाकर यदि उसकी किश्तबन्दी करदी जावें तो ऐसी किश्तबन्दी कितने सालों की होनी चाहिये तथा किश्तबन्दी के लिये छोटे व बड़े जमीदारों में कोई अन्तर रखना या भेदभाव करना आवश्यक है? इसी प्रकार मुआवजे की कुल रकम ऋणपत्रों में दी जावे अथवा कुछ नगद व शेष ऋणपत्रों में। यदि कुछ रकम ऋणपत्रों में दी जावे तो क्या यह ऋणपत्र विनिमय साध्य होना चाहिये अथवा इनको अविनिमय साध्य कर दिया जावे, इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनपर विचार करना आवश्यक है।

मुआवजा एकमुश्त व नगदी देने में आपत्तियाँ

यह पूर्व में ही बताया जा चुका है कि, किसी की निजी सम्पत्ति बिला मुआवजा दिये ली जाना योग्य नहीं है, और यह भी आवश्यक है कि, जो मुआवजा दिया जावे वह जमीदारियाँ समाप्त करने के पश्चात् जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी दिया जावे। जमीदारान भी यही इच्छा करेंगे कि, उनको जो रकम मुआवजे के रूप में दी जाने वाली हो वह एकमुश्त व नगद तुरन्त मिल जाना चाहिये, और उनकी इस प्रकार इच्छा करना एक स्वाभाविक बात है। इन सब बातों के होते हुये भी इस पर विचार करना अत्यन्त आवश्यक है कि, यदि शासन नगदी के रूप में एक मुश्त मुआवजा जमीदारों को दे तो उन अनेकों प्रजा उपयोगी कार्यों के लिये जो आज शासन ने अपने हाथ में लिये हैं, आर्थिक भार वहन करने की शक्ति शासन में नहीं रहेगी। वैसे ही इस बात पर भी विचार करना होगा कि, एकदम नगद मुआवजा देने पर मुद्रास्फीति में वृद्धि होकर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जावेगी जो कि वांछनीय नहीं है। मुआवजे की रकम एकमुश्त व नगदी देने में शासन को आज लगभग १० करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी। मध्य भारत के आर्थिक स्थिति का अवलोकन करने से ज्ञात होगा कि, इतनी बड़ी धनराशि कोष से एकदम नगद दी जाना कठिन होगा।

मुद्रास्फिति से जीवनोपयोगी वस्तुओं का मूल्य बढ़कर जीवन निर्वाह की समस्या दिन प्रतिदिन विकट हो रही है। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में भी यदि उनकी तुलना पूर्व के मूल्यों से की जावे तो प्रचलित मूल्य चौगुने से भी अधिक हो गये हैं। यह अवश्य है कि मूल्य वृद्धि का कारण केवल मुद्रास्फिति ही नहीं है तथापि वह एक महत्वपूर्ण कारण है, यह भुलाया नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में एकदम नग्द मुआवजा देकर प्रचलित मुद्राओं में वृद्धि करने का यही अर्थ होगा कि जीवनोपयोगी वस्तुओं की महर्गता को बढ़ाने में सहायता दी गई। इसलिये कमेटी के मत में मुआवजा एकमुश्त और नग्द रूप में देना उचित नहीं है।

विनिमय साध्य ऋण पत्र व मुद्रास्फिति

दूसरा प्रकार अब यही रह जाता है कि मुआवजे की रकम का भुगतान विनिमय साध्य ऋण पत्रों के रूप में किया जावे और इन विनिमय साध्य ऋण पत्रों की रकम एक निश्चित अवधि के अन्दर अदा कर दी जावें। इससे एक यह लाभ होगा कि यदि कोई जमीदार उद्योग व्यवसाय में रुपये लगाना चाहेगा तो कुछ बट्टा देकर वह ऋण पत्र की समस्त रकम एक साथ प्राप्त कर सकेगा, इस प्रकार करने में भी कुछ लोगों का यह मत है कि इससे भी मुद्रास्फिति बढ़ेगी, क्योंकि यह ऋण पत्र भुनाये जा सकेंगे। परन्तु कतिपय अर्थशास्त्रियों का यह मत है कि, विनियय साध्य ऋण पत्र प्रचलित करने से मुद्रास्फिति होने की कोई आशंका नहीं है जैसी कि प्रगट की जाती है। इस विचार धारा के लोगों का यह कहना है कि विनिमय साध्य ऋण पत्र प्रचलित करने से यदि उसी मात्रा में मुद्रास्फिति हुई कि जिस मात्रा में नोट छापने से होती है तो मुद्रास्फिति निरोधक कार्यवाही के सिलसिले में सरकार के ऋण उगाहने का कोई अर्थ ही नहीं होता। ऋण तो केवल इसीलिये उगाहे जाते हैं कि जनता के पास एकत्र फाजिल रुपया ऋण पत्रों में बदल जाने से वह काफी हद तक प्रचलन से हट जाता है।

इन्हीं विचार धारा के लोगों का यह भी तर्क है कि, इन विनिमय साध्य ऋण पत्रों को प्रचलित करने से नई क्रयशक्ति यानी जो रुपया पहले नहीं था उसके उत्पन्न होने की बात तर्कहीन है। याने कोई नई क्रयशक्ति ऐसे विनिमय साध्य ऋण पत्रों को प्रचलित करने से उत्पन्न नहीं होती है। जिसका मुख्य कारण यह है कि पूर्व में बैंक अथवा अन्य लोग भूसंपत्ति की जमानत पर ऋण देते थे, जो अब न दे सकेंगे। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जो ऋण पत्र जारी होंगे वे वास्तव में उन जमानतों Securitiesकी वजह से होंगे जो पहले से ही मौजूद थी यानी भूमि। इसके अतिरिक्त मुआवजे की दर जो दी जा रही है वह इतनी कम है कि, ऋण पत्र

उतनी कीमत के न होंगे जितनी कि जायदाद की कीमत थी, जिसकी जमानत पर आज तक बैंक कर्ज देते आये हैं। इसलिये यह कहा जा सकता है कि इन ऋण पत्रों का मूल्य जमानत के रूप में जमीदारियों की अपेक्षा बहुत ही कम होगा। इतना ही नहीं परन्तु जो क्रयशक्ति पहले भूमि सम्पत्ति की वजह से थी वह भी इससे यानी ऋण पत्रों से घट जावेगी।

इसी संबंध में यह भी प्रश्न उत्पन्न होता है कि, यह ऋण पत्र सरलता से बेचे जा सकते हैं। अतः इनके परिवर्तन की गति भी तीव्र होगी। और गति तीव्रता ही इस बात की निर्णायक है कि, किसी ऋण पत्र का मूल्य रुपये के समान है या नहीं। इस आक्षेप का केवल यही उत्तर है कि जिस ऋण पत्र से प्राप्त होने वाली सूद की दर निश्चित है उसमें सट्टेबाजी की सम्भावना कम रहती है। और इसीलिये उसकी गति इतनी तीव्र होने की आशंका नहीं है, जितनी उन कम्पनियों के हिस्सों आदि की कि जिनके लाभ की रकम बहुत अधिक घटा बढ़ा करती है। यह ऋण पत्र किसी समय रुपये का स्थान ग्रहण करेंगे यह भय निराधार है। यदि उन्हें कोई खरीद भी ले तो उसका उद्देश्य केवल यही होगा कि फाजिल रुपया कुछ समय के लिये प्रचलन से रुक जावे इस प्रकार सम्पूर्ण बातों पर विचार करने के पश्चात कमेटी का यह मत है कि यदि मुआवजे की अदायगी विनिमय साध्य ऋण पत्रों के रूप में की जावेगी तो उससे मुद्रास्फिति होने की कोई भारी आशंका नहीं है।

मुआवजे का विभाजन ऋण पत्र तथा नग्दी के रूप में

अब दूसरा प्रश्न जिस पर विचार होना आवश्यक है वह यह है कि, मुआवजे का कितना हिस्सा नग्दी के रूप में व कितना हिस्सा विनिमय साध्य ऋण पत्रों के रूप में जमीदारों को दिया जाना चाहिये। मुआवजा नियत करते समय जिस प्रकार छोटे व बड़े जमीदारों में अंतर रखा गया है, उसी प्रकार मुआवजा देने के रूप में भी छोटे व बड़े जमीदारों में भेदभाव रखना आवश्यक है। जिसका खास कारण यह है कि, छोटे-छोटे जमीदारों को जो मुआवजे की रकम प्राप्त होगी वह यदि एक दम नग्दी के रूप में दी जावे तो यह छोटे-छोटे जमीदारान उसकी सहायता से अन्य धंधे जो उनको जीविका उपार्जन में सहायक होंगे एक दम शुरू कर सकते हैं, व जमीदारी समाप्ति से जो हानि उनको होगी उसकी अंशतः पूर्ति कर सकते हैं।

मुआवजे का रूप

बडे-बड़े जमीदारों को जिनको कि मुआवजे की रकम काफी अधिक मात्रा में प्राप्त होगी उनका आज भी जीवन स्तर काफी ऊँचा है और उन्हें यदि मुआवजे की रकम संपूर्णतया नग्दी के रूप में दी जावेगी तो यह संभव है कि, उसका अधिक

भाग अनउत्पादक Unproductivo कार्यों में खर्च हो जावेगा। वैज्ञानिक ढंग पर बड़े पैमाने पर गांव में कृषि कार्य में रुपया लगाने की फिलहाल कोई गुंजायश नहीं है, और न गृह उद्योगों Cottage Industries के विस्तार में ही रुपया लगाने का क्षेत्र है। ऐसी स्थिति में गांव की पूंजी गांवों से हटकर शहरों में लगाई जाने लगेगी। अतएव बड़े जमीदारों को जो मुआवजा दिया जावे वह पूर्णतया नग्दी में देना उचित न होगा।

अतएव कमेटी के मत में जमीदारों को जो मुआवजा दिया जावे उसका वितरण निम्न प्रकार से होना योग्य होगा।

१—२५० रु० तक मुआवजे की रकम होने पर जमीदारान को यह रकम पूर्ण रूप में नग्दी में दी जावे।

२—२५० रु० से १००० रु० तक मुआवजे की रकम होने पर आधी रकम नग्दी तथा आधी रकम विनिमय साध्य ऋणपत्रों के रूप में दी जावे परंतु इनको जो नग्दी के रूप में रकम दी जावेगी वह २५० रु० से कम न होगी।

३—१००० रु० से ५००० रु० तक मुआवजे की रकम होने पर उस रकम का १ : ३ भाग नग्दी में तथा २ : ३ भाग ऋण पत्रों के रूप में दिया जावेगा। परंतु जो नग्दी के रूप में मुआवजा दिया जावे वह ५०० रु० से कम नहीं होगा।

४—५००० रु० से अथवा उससे अधिक रकम मुआवजे के रूप में पाने वाले लोगों को मुआवजे की रकम का १ : ४ अंश नग्दी के रूप में तथा ३ : ४ अंश विनिमय साध्य ऋण पत्रों के रूप में दिया जावेगा परंतु किसी भी दशा में नग्दी के रूप में १६७० रु० से कम नहीं दिये जावेंगे।

कर्जदारों की व्यवस्था

मुआवजा देते समय इन जमीदारों के कर्जदारों की भी व्यवस्था करना आवश्यक है, जिसके लिये कमेटी की यह सिफारिश है कि, कर्जदारों के क्लेम्स प्रचलित दीवानी कायदे Civil Laws के अनुसार स्पेशल आफिसर निर्धारित करेंगे, और निर्णीत धन मुआवजे की रकम में से कर्जदारों को एक मुश्त अदा किया जावेगा।

प्रकरण ४

मुआवजे के रकम की व्यवस्था

प्रास्ताविक

जमीदारी की समाप्ति से काश्तकारों को सुरक्षा की आवश्यक भावना प्राप्त होगी और इन्हें कृषि का विकास करने की प्रेरणा मिलेगी। इससे कृषि संपत्ति का अधिक समान वितरण होगा और बरबादी रुक जावेगी। इससे काश्तकारों को फिर से आत्म सन्मान प्राप्त होगा और उसे आशा और विश्वास मिलकर एक नये समाज की स्थापना होगी, इस प्रथा की समाप्ति से देहातों में जो मनोवैज्ञानिक परिवर्तन और सामाजिक उत्साह उत्पन्न होगा उसका उपयोग खेती के पुनर्निर्माण के लिये संघटित और सम्मिलित प्रयत्न करने तथा काश्तकारी की लापरवाही और अयोग्यता दूर करने में होना चाहिये।

जमीदारी समाप्ति के सिलसिले में शासन को लगभग १० करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, और यह पूर्व में ही स्पष्ट किया जा चुका है कि शासन यदि मुआवजे के रूप में १० करोड़ रुपया खर्च कर भी दे तो भी केवल इसी कार्य में १० करोड़ खर्च कर देने से दूसरे अनेक उपयोगी कार्य धन के अभाव से पूर्ण नहीं हो सकेंगे, इसलिये इस कार्य में उन लोगों की सहायता आवश्यक है कि जिनके लिये आज जमीदारों को इतनी धन राशि मुआवजे के रूप में दी जाना तजवीज किया जा रहा है।

काश्तकारों को जमीदारी समाप्ति से प्रत्यक्ष लाभ

जमीदारी समाप्त होने पर यदि काश्तकारों के सांप्रत लगान में जो आज वसूल हो रहा है, कमी न होगी तो काश्तकारों को व्यवहारिक रूप में कोई लाभ हुआ है ऐसा नहीं कहा जा सकता, उसके लिये केवल इतना ही होगा कि आज तक लगान की रकम जो जमीदार वसूल करता था वह रकम अब सरकार अपने अधिकारियों द्वारा वसूल करने लगी। इस प्रकार की मनोवृत्ति काश्तकारों में उत्पन्न होने देना लाभप्रद नहीं होगा। जमीदारी समाप्ति के पश्चात उसको स्पष्ट रूप से यह मालूम होना चाहिये कि इस हानिकारक प्रथा के नष्ट होने के कारण उसको अमुक अमुक लाभ हुये हैं व साथ ही साथ उस लाभके लिये उसकी ओर से भी कुछ सहायता धन के रूप में शासन को प्राप्त होनी चाहिये ताकि वह यह समझ सके कि, जो लाभ

उसे प्राप्त हो रहे हैं उसके लिये उसने भी हाथ बटाया है। इस प्रकार विचार करने पर यह आवश्यक हो जाता है कि, आज जो अधिकार हमारे काश्तकारों को हैं उनमें वृद्धि की जाकर तथा आज जो वे लगान दे रहे हैं उनमें किसी नियम के अनुसार कमी की जावे। जिससे कि, वह यह भली प्रकार समझ सकें कि, जमींदारी समाप्ति से उनको निश्चित तथा प्रत्यक्ष रूप में लाभ हुआ है।

संयुक्त प्रांत की योजना

संयुक्त प्रान्त तथा मध्य प्रान्त व बरार में भी शासन ने इस प्रकार से काश्तकारों से सहायता प्राप्त करने की योजना की है और उनसे उस सहायता प्राप्त होने के बदले में उनके अधिकारों में वृद्धि की है व जो आज आर्थिक कठिनाइयां है उनको अंशतः दूर करने के लिये संयुक्त प्रान्त ने काश्तकारों को यह सुविधा दी है कि स्वेच्छा से जो आज वर्तमान लगान दे रहे हैं उसकी दस गुना रकम शासन कोष में जमा करके नये अधिकारों सहित नये पट्टे प्राप्त करें। और इन काश्तकारों को जो कि इस प्रकार दस गुना रकम अपने लगान की शासन कोष में एक मुश्त जमा करेंगे उनको यह भी सुविधा दी गई है कि, उनके मौजूदा लगान का पचास प्रतिशत चालीस साल के लिये कम कर दिया जावेगा तथा उनको अन्तरण योग्य अधिकार उनके खातों में मिल जावेंगे। ऐसा करने से शासन को धन के रूप में सहायता मिलने के अतिरिक्त मुद्रास्फिति की भी अपने आप रोक हो जावेगी। अतः इसी प्रकार की कोई व्यवस्था ग्वालियर क्षेत्र में की जाना आवश्यक है।

काश्तकारान की किस्में तथा उनको दिये जाने वाले अधिकार

भूतपूर्व राज्य ग्वालियर में, जहाँ पर ही केवल जमींदारी प्रथा प्रचलित है काश्तकारों की मुख्यतया चार किस्में है। (१) साकितुल मिलकियत, (२) पुख्ता मौरूसी, (३) मामूली मौरूसी, (४) गैर मौरूसी। इसके अतिरिक्त एक किस्म और है जो शिकमी काश्तकारान की है। जमींदारी समाप्ति के पश्चात् सबसे प्रथम जो सुविधा इन सब काश्तकारों को दी जाना आवश्यक है वह यह है कि, उनके लगान में मौजूदा लगान के १ : ३ हिस्से तक कमी करना व इसके पश्चात् सब काश्तकारों को वह अधिकार देना जो कि आज पुख्ता मौरूसी को भूतपूर्व राज्य ग्वालियर में प्राप्त है। इस प्रकार अधिकार प्राप्त करने के लिये भिन्न भिन्न प्रकार के काश्तकारान को जो सहयोग शासन को देना होगा तथा जो धन शासन में जमा करना होगा उसका स्केल निम्न प्रकार का होना चाहिये।

१—साकितुल मिलकियत व पुख्ता मौरूसी काश्तकारान से मौजूदा लगान की ३ गुना रकम।

२—मामूली मौरूसी से मौजूदा लगान की……… ………६ गुना रकम।

३—गैर मौरूसियों से मौजूदा लगान की………………१० गुना रकम।

४—शिकमी काश्तकारों से मौजूदा लगान की……… ………१५ गुना रकम।

शिकमियों के रकम का वितरण

शिकमी काश्तकारों से जो लगान की १५ गुना रकम ली जा रही है उसके बदले में उनको अधिकार भी काफी दिये जा रहे हैं, इसके अलावा यह आवश्यक है कि जिस असली काश्तकार का वह शिकमी है उसको भी मुआवजे के रूप में कुछ रकम इसमें से दी जावे, ताकि हम शिकमियों को असली काश्तकार बनाने में समर्थ हों। इस कारण यह सिफरिश की जाती है कि शिकमियों से जो १५ गुना रकम लगान की वसूल होगी उसमें से जिस प्रकार के काश्तकार का यह शिकमी होगा उस प्रकार के काश्तकार के अनुसार इस १५ गुना रकम में से वितरण होगा। यदि यह शिकमी काश्तकार साकितुल मिलकियत, खुदकाश्त, अथवा पुख्ता मौरूसी का हो तो जो रकम इससे प्राप्त होगी उसमें से आधी रकम इन असली काश्तकारों को दी जाकर बाकी रकम शासन कोष में जमा होगी। यदि यह शिकमी काश्तकार खुद काश्त का हो तो विहलेज रेट से लगान बरामद करके जो लगान उस प्रकार की भूमि के लिये प्राप्त होगा उसमें से १ : ३ और कमी कर दी जायगी, यदि शिकमी काश्तकार का असली काश्तकार मामूली मौरूसी हो तो जो रकम शिकमी काश्तकार से प्राप्त होगी उसका १ : ३ भाग असली काश्तकार को तथा २ : ३ शासन कोष में जमा होगी, यदि शिकमी काश्तकार का असली काश्तकार गैर मौरूसी काश्तकार हो तो जो रकम प्राप्त होगी उसमें से १ : ५ रकम असली काश्तकार को दी जाकर बाकी—४ : ५ शासन कोष में जमा होगी।

इस अवसर पर यह उचित होगा कि, संक्षेप में इसका अंदाजा लगाया जावे कि, भूतपूर्व राज्य ग्वालियर में भिन्न भिन्न प्रकार के काश्तकारान कितने हैं व लगान के रूप में कितना धन जमीदारों को देते हैं जिससे इस बात का एक मोटा अंदाजा लगाया जा सके कि, शासन कोष में इस वर्ग से कितना धन एकत्रित होने की सम्भावना है। विस्तृत स्टेटमेन्ट परिशिष्ट नंबर ५ व ६ पर दिया गया है। जिससे पूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। इस प्रकार यदि भिन्न भिन्न प्रकार के काश्तकारों से उनकी स्वेच्छा से धन राशि एकत्रित की गई व इन सब लोगों ने शासन को सहयोग दिया तो लगभग ५ करोड़ रुपया एकत्रित होने की संभावना है। परन्तु यह संभव है कि, आर्थिक कठिनाइयों तथा अन्य कारणों से सर्व काश्तकार इस योजना से लाभ उठाने में समर्थ न हो तथापि यदि आधे ही काश्तकार इस योजना से लाभ उठावेंगे ऐसा मानकर अंदाजा लगाया जावे तो भी इस योजना से लगभग ३ करोड़ रुपया कोष में जमा होगा जो जमीदारों को मुआवजा वितरण में सहायक होगा।

प्रकरण ५

प्रबन्ध (व्यवस्था)

प्रत्यक्ष कार्य

जमीदारी समाप्ति की योजना प्रत्यक्ष व्यवहार में कार्यान्वित करने के लिये निम्नलिखित कार्य करना पड़ेंगे।

१. मुआवजों का तय करना।
२. मुआवजों का बटवारा करना।
३. कर्जों का निपटारा।
४. भूमि के मिलकियत सम्बन्धी झगड़ों का फैसला करना।
५. वक्फ और ट्रस्ट के स्वरूप के सम्बन्ध में फैसला।

डेप्युटी कम्पेनसेशन ऑफिसर का कार्य

ऊपर वर्णित कार्य जितने जल्दी सम्पन्न किये जावें उतना ही शासन को लाभ होगा। और जमीदारों का भी लाभ इसी में है कि उनको जल्द से जल्द मुआवजा-वितरण हो जावे। सबसे प्रथम काम इस योजना के सिलसिले में यह होगा कि लगभग एक लाख बाईस हजार जमीदारों में से हर एक की आमदनी का निर्धारण करना और ऐसी आराजियों का लगान निश्चित करना जो कि बटाई पर अथवा बिला लगानी दी गई हों। यह काम पटवारियान के कागजों पर से ही होगा और इस कार्य को मुख्यत: पटवारी ही करेंगे, परन्तु उनके काम की जांच होना अत्यन्त आवश्यक है। इसके बाद जो मुआवजा तय होगा वह काम एक जिम्मेदार अफसर के सिपुर्द किया जावेगा जो कि प्रत्येक परगने के हैडक्वाटर पर उस परगने के लिये नियोजित होगा। दूसरे प्रकार का काम जो इसी अफसर को करना होगा वह यह होगा कि मुआवजे का बटवारा करना। व इस अफसर के पद का नाम डेप्यूटी कम्पेनसेशन आफीसर रक्खा जावेगा।

स्पेशल आफिसर के कार्य

इन कार्यों के अतिरिक्त तीन महत्व के कार्य यानी (१) कर्जों का निपटारा (२) भूमि के मिलकियत सम्बन्धी झगड़ों का फैसला, (३) वक्फ और ट्रस्ट के स्वरूप का फैसला, रह जाते हैं, जो एक दूसरे अफसर के सिपुर्द किये जावेंगे, जिसका हैडक्वार्टर तेहसील के हैडक्वार्टर पर होकर प्रत्येक परगने के लिये

एक इस प्रकार आफीसर नियोजित किया जावेगा जिसको दीवानी अदालत के अधिकार होकर उसका नाम स्पेशल आफिसर होगा।

कम्पेनसेशन आफिसर का कार्य तथा काम्पेनसेशन कमिश्नर

इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए भूतपूर्व राज्य ग्वालियर के जिलों को ६ जिलों में अथवा यूनिट्स में तकसीम करके प्रत्येक जिले अथवा यूनिट के लिए एक आफीसर नियुक्त किया जावेगा। जो काम्पेनसेशन आफिसर कहलायेगा। जिसका कार्य यह होगा कि डेप्यूटी काम्पेनसेशन आफिसर जो आज्ञाएं मुआवजे के तय करने अथवा मुआवजे का बटवारा करने के प्रकरणों में देगा उनके विरुद्ध अपीलें समाअत करें। काम्पेनसेशन आफिसर का यह भी कार्य होगा कि, वह इन परगना आफिसरों के कामों पर निगरानी रक्खे। काम्पेनसेशन आफिसर की आज्ञाओं के विरुद्ध अपीलें एक ऐसे आफिसर के पास होगी जो कि समस्त जमींदारी समाप्ति योजना को कार्यान्वित करने के लिये नियुक्त किया जावेगा व जिसका नाम काम्पेनसेशन कमिश्नर होगा। इसका हेडकार्टर खास ग्वालियर में रहकर इसके जिम्मे इस सारे कार्य की निगरानी तथा सुचारु रूप से कार्य समाप्त होने की जिम्मेदारी रहेगी। इसी प्रकार परगने में स्पेशल आफिसर जो निर्णय देगा उसके विरुद्ध अपील उस परगने के संबंधित जिले के सिविल जज फर्स्ट क्लास के पास होगी; और उसकी आज्ञाओं के विरुद्ध अपील हायकोर्ट में होगी।

पृथक अमले की आवश्यकता

यह अवश्य है कि, कि बिलकुल ही पृथक अमला तजवीज करने में शासन को अधिक व्यय करना पड़ेगा। परन्तु कार्य के महत्व को देखते हुये तथा उसका विस्तार देखते हुये कमेटी इस मत से सहमत नहीं है कि, मौजूदा परगनों व जिलों में जो अमला है उनको ही थोड़ा अधिक अमला तथा अलाउन्स देकर उनके जिम्मे यह कार्य किया जावे। ऐसा सुझाव न करने का खास यह कारण है कि, आजकल परगना तथा जिला अधिकारियों के पास अन्न व्यवस्था, सिविल सप्लाईज, तथा अन्य महकमों के इतने अधिक कार्य हैं कि जिनकी वजह से उनको खुद के कार्य करने का ही पर्याप्त समय नहीं मिलता है। ऐसी अवस्था में उनके जिम्मे इस कार्य को कर देना उचित न होगा। इस कार्य के लिये लगभग जो वार्षिक खर्च होगा उसका अनुमान पत्रक :: बजट :: तैयार किया जाकर परिशिष्ट नंबर पर ६ संलग्न किया गया है जिससे पूर्णतया जानकारी प्राप्त होगी। इस कार्य को संपूर्ण करने में लगभग दो वर्ष का समय आवश्यक होगा। यह अवश्य है कि, जो व्यय पहले वर्ष में किया जावेगा उसका आधा व्यय दूसरे वर्ष में करने की आवश्यकता होगी। व्यय का अनुमान प्रथम वर्ष में लगभग २६ लाख रुपये का किया जाता है। इस प्रकार दो वर्ष के लिये लगभग ३६ लाख रुपये का अनुमान किया जाता है।

प्रकरण ६

समिति द्वारा की गई सिफारिशों का संक्षेप

कमेटी ने जमीदारी समाप्ति के महत्वपूर्ण प्रश्न पर जो अपनी सिफारिशें की हैं, उनकी जानकारी होने के लिये इस जगह उनको संकलित किया जाता है। मुख्य मुख्य सिफारिशें निम्न लिखित हैं:—

(१) जमीदारियां को तत्काल समाप्त करके उसके ऐवज में मुआवजा देने की आवश्यकता है।

(२) मुआवजा जो दिया जाना चाहिये वह सर्व जमीरदारों को समान दर से देने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिये जमीदारों की मालगुजारी के धन के आधार पर ६ श्रेणी बनाई गई है और उनको भिन्न दर से मुआवजा तजवीज किया गया है। मुआवजे को इस प्रकार निश्चित किया गया है कि, जमीदारों की कुल आय में से मालगुजारी मय चौकीदारी वजा की जाकर प्रबन्ध व्यय के लिये व नाकाबिल वसूल लगान का एक औसत इस प्रकार कुल आय की दस फीसदी कम करके बाकी जो वास्तविक मुनाफा रहे उसको मुआवजे का आधार मानकर मुआवजा निम्न प्रकार से तजवीज किया गया है:—

१—१०० रु० तक मालगुजारी देने वाले को खालिस मुनाफे का	२० गुना
२—१०० रु० से अधिक ५०० रु० तक	१७ गुना
३—५०० रु० से अधिक २००० रु० तक	१५ गुना
४—२००० रु० से अधिक ३५०० रु० तक	१२ गुना
५—३५०० रु० से अधिक ५००० रु० तक	१० गुना
६—५००० रु० से अधिक मालगुजारी देने वाले को	८ गुना

(३) जमीदारान के खुदकाश्त पर कोई मुआवजा नहीं दिया जावेगा, परन्तु खुदकाश्त का बरूये रेट लगान मालूम करके जिस फी सदी से मालगुजारी मौजे पर तशखीस की हो वह भाग इसमें से वजा करके बाकी रकम लगान की मुकर्रर होगी।

(४) मुआवजा देने में जो आधार माना गया है उस रकम में बन्दोबस्त की अवधि जितनी बीत चुकी है उसका भी विचार किया गया है, जितनी अधिक अवधि बीत चुकी है उसीके अनुपात से वास्तविक आय में कमी की गई है और इस

प्रकार कमी करके वास्तविक आय मालूम की गई है। यदि सम्पूर्ण मियाद बन्दोबस्त समाप्त हो चुकी है तो मौजूदा निकासी को आधार मानकर उसमें से जो मालगुजारी घटाई जावेगी वह प्रचलित मालगुजारी न घटाई जाकर जिस रेट तशखीस से मौजा तशखीस हुआ हो उस रेट से मालगुजारी बरामद करके उसको घटाने की सिफारिश की गई है।

(५) संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब का भी विचार किया गया है, व जितनी शाखाएँ हैं, उनको पृथक पृथक कुटुम्ब माना गया है, तथा पिता माता व पुत्र को एक ही कुटुम्ब माना है।

(६) खैरात तथा धार्मिक कार्यों में यदि जमीदारियाँ लगी हों तो उनको बजाय एकदम मुआवजा देने के वर्षासन के रूप में मुआवजा देने की सिफारिश की गई है।

(७) साधारण जमीदारों में अथवा जो जमीदारियाँ आज बैंक के पास हैं उनमें मुआवजा देने के सम्बन्ध में कोई भेदभाव नहीं किया गया है।

(८) यदि मुआवजा पाने वाले अवयस्क अथवा कोई व्यवहारिक अक्षमता के आधीन हो तो उनका भी विचार किया गया है, व उनका मुआवजा बैंक अथवा सोसायटी में जमा किया जाकर वर्षासन देने की सिफारिश की गई है।

(९) दीगर मध्यस्थ मस्तन सिपुर्दगिदारान व मुस्ताजरान जो आज भी जमीदारी मवाजियात में है उनको मुआवजा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, और न साबिक जमीदारान को ही मुआवजा देने की आवश्यकता है, सिपुर्दगिदारान को केवल जो रकम सिपुर्दगी में इन्होंने सरकार में जमा की हो उसको मुआवजे के रूप में वापिस कर देने की सिफारिश है।

(१०) चकदारान व ब्लाकदारान जिन्होंने शरायत के मुताबिक आबादी पूर्ण कर ली हो उनको मिस्ल जमीदार मानकर मुआवजा तजवीज किया जावेगा और उन चक व ब्लाकदारों को जिनके चक व ब्लाक खिलाफवर्जी में जब्त होंगे उनकी खुदकाश्त के लिये जमीदारान के खुदकाश्त के समान व्यवहार किया जावेगा, और उनको कोई भी मुआवजा नहीं दिया जावेगा।

(११) मुआवजा किस प्रकार दिया जावेगा इस सम्बन्ध में कमेटी की सिफारिश निम्न प्रकार की है:—

१—२५० रु० तक मुआवजे की रकम होने से सम्पूर्ण रकम नगद में दी जावे।

२–२५० रु० से १००० रु० तक मुआवजे की रकम होने पर आधी रकम नगदी तथा आधी रकम विनिमय साध्य ऋणपत्रों के रूप में दी जावे, परन्तु नगदी रकम जो दी जावेगी वह २५० रु० से कम न होगी।

३—१००० रु० से ५००० रु० तक मुआवजे की रकम का १ : ३ भाग नगदी तथा २ : ३ भाग ऋणपत्रों के रूप में दिया जावेगा परन्तु ५०० रु० से कम रकम नगदी में नहीं दी जावेगी।

४—५००० रुपये से अधिक मुआवजा होने की स्थिति में १ : ४ रकम नगदी के रूप में दी जाकर ३ : ४ रकम के लिये ऋण पत्र दिये जावेंगे, जो विनिमय साध्य होंगे। परन्तु किसी भी दशा में नगदी के रूप में १६७० रु० से कम रकम नहीं दी जावेगी।

१२—कर्जदारों के लिये कमेटी की यह सिफारिश है कि इनके क्लेम्स प्रचलित Civil Laws के अनुसार स्पेशल आफिसर निर्णय करेंगे और निर्णीत धन मुआवजे की रकम में से एक मुश्त शख्स मुस्तहक को अदा किया जावेगा।

१३—मुआवजे की व्यवस्था अंशतः निम्न प्रकार से की जाने के सुझाव कमेटी के हैं।

१—समस्त वर्ग के काश्तकारान को पुख्ता मौरूसी के समान अधिकार दिये जाकर उनका लगान जो मौजूदा है उसको १ : ३ भाग कम करना, व इसके एवज में काश्तकारान साकितुल मिलकियत तथा पुख्ता मौरूसी से मौजूदा लगान की ३ गुना रकम, मामूली मौरूसी से मौजूदा लगान की ६ गुना रकम व गैर मौरूसियों से मौजूदा लगान की दस गुना रकम लेना।

२—शिकमियों से फिर यह शिकमी खुद काश्त के हो अथवा साकितुल मिलकियत काश्तकार के हो, अथवा दूसरे किसी काश्तकार के हो उनसे १५ गुना रकम ली जावेगी और इस रकम में से जिस जिस प्रकार का असली काश्तकार हो उसको एक नियत अनुपात से भाग दिया जावेगा, व बाकी रकम शासन कोष में जमा होगी।

१४—प्रबन्ध व्यवस्था के लिये प्रत्येक परगने में दो आफिसर नियुक्त किये जावेंगे। तथा ६ जिलों में आफिसरान नियुक्त होंगे। परगने के आफिसरों को डेप्यूटी काम्पेनसेशन आफिसर व स्पेशल आफिसर कहा जायगा, व जिले आफिसर को काम्पेनसेशन आफिसर सम्बोधित किया जावेगा। इसी प्रकार एक मुख्य अफसर होगा जो काम्पेनसेशन कमिश्नर कहलायेगा। इस प्रकार इस योजना के लिये अलावा पटवारियान के ६१ आफिसरान तथा ६०६ कर्मचारीगण व ८७२ भृत्यवर्ग की योजना की गई है। तथा अन्य खर्चे मिलाकर इस व्यवस्था में लगभग २६ लाख रुपये के खर्च का अनुमान किया जाता है।

जमीदारी प्रथा समाप्ति के सिलसिले में एक आवश्यक बात का संकेत किये बिना कमेटी के सुझाव पूर्ण नहीं कहे जा सकते हैं, यह सुझाव यह है कि मध्यस्थ वर्ग की पूर्ण समाप्ति के लिये जमीदारों के अतिरिक्त अन्य मध्यस्थ वर्ग जैसे जागीरदारान, माफीदारान आदि आदि की समाप्ति भी होना आवश्यक है।

इस प्रकार संक्षिप्त में कमेटी ने जो सिफारिशें की है उसकी रूप रेखा है।

सौभाग्यमल जैन
श्यामलाल पांडवीय
सैयद हामिदअली शाह
राधाचरण शर्मा
पी० एस० बापना
जगतनारायण गर्ग

नोट—मेरे मत से ३५०० रुपये से अधिक मालगुजारी देनेवाले प्रत्येक जमीदार को १० गुना मिलना चाहिये क्योंकि १० गुना से कम मुआवजा मिलना न्याययुक्त नहीं है।

शिवदयाल श्रीवास्तव

मैं इस कमेटी की सिफारिशों से पूर्णतया सहमत नहीं हूँ, व मेरा निम्न प्रकार मत भेद है।

(१) मावजा जिस शरह से दिये जाने की सिफारिश की गई है वह अत्यन्त कम है। Compulsory acquisition का हमेशा यह उसूल रहा है कि जो जायदाद इस तरह ली जावे उसका मूल्य बाजार भाव से दिया जाना चाहिये, व इस सम्बन्ध में गवालियर स्टेट में बहुत लम्बे अर्से से कानून राईज रहा है जो आज तक मन्सूख नहीं हुआ है व जिसको मध्य भारत गवर्नमेण्ट ने राईज रक्खा है कि मावजा बाजारी कीमत से दिया जावेगा व जहाँ बाजारी कीमत नहीं मालूम हो सकती हो तो दस गुना मालगुजारी की रकम के हिसाब से मावजा दिया जावेगा, ऐसी दशा में मेरी यह सम्मति है कि मालगुजारी की तादाद का विचार न करते हुए कम से कम मालगुजारी का दस गुना प्रत्येक मालगुजार को बतौर मावजा दिया जाना चाहिये और इसके अतिरिक्त

निम्नलिखित मावजा बतौर Development Compensation के भी दिया जाना चाहिये।

(१) एकसो रुपया तक मालगुजारी देने वाले को मुनाफे की रकम का दस गुना।

(२) एकसो रुपया से पाँचसो रुपया तक मालगुजारी देने वालों को मुनाफे की रकम का सात गुना।

(३) पाँचसो रुपय से पाँच हजार रुपये तक मालगुजारी देने वालों को उनके मुनाफे की रकम का पाँच गुना।

(४) पाँच हजार रुपये से दस हजार रुपये तक की मालगुजारी देने वालों को उनके मुनाफे का तीन गुना।

(५) दस हजार रुपये से पन्द्रह हजार रुपये की मालगुजारी देने वालों को उनके मुनाफे का दुगना।

(६) पन्द्रह हजार रुपये से पचीस हजार रुपये की मालगुजारी देने वाले को उनके मुनाफे का एक गुना।

कमेटी के इस सुझाव से भी मैं सहमत नहीं हूँ कि मावजे की रकम में से आयन्दा होने वाले बन्दोबस्त की अवधि के अनुसार कमी की जावे—यह उसूल सही नहीं है। जो मुनाफा जमींदार को मिल रहा है उसका वह कानूनी हकदार है ऐसी हालत में आयन्दा होने वाले बन्दोबस्त के विचार से कमी करना न्याय संगत नहीं होगा।

वसूली खर्च वगैरह का जो दस प्रतिशत काटा जाने की सिफारिश की गई है वह ज्यादा है। अधिकाँश जमीदार खुद ही अपना काम करते हैं। ऐसी हालत में ज्यादा से ज्यादा सवा छः प्रतिशत रकम वसूली वगैरह खर्च की काटना मुनासिब होगा।

मावजे की रकम के अदा करने के सिलसिले में जो सिफारिश कमेटी ने की है उससे में सहमत नहीं हूं। जो रकम मावजे की हो एक मुश्त जमीदारी लेने के साथ नकद दी जाना चाहिये। जमीदारी नहीं रहने पर न सिर्फ जमीदारों के जीवनयापन का साधन नष्ट हो जावेगा बल्के उनके लेनदार एक साथ अपनी रकम की वसूली की कार्यवाही करेंगे, जिसके कारण उनकी आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ में पड़ जायगी और उन्हें अपनी नई जीवनयोजनायें बनाने के लिये भी कोई पूँजी उनके पास मौजूद नहीं रहेगी, और न बाजार से ही उनके साख उठ जाने के कारण रकम मिल सकेगी, ऐसी हालत में मेरी राय में यह अत्यन्त आवश्यक है के मावजे की रकम एक मुश्त नगद दी जाना चाहिये, क्योंकि रकम मिल जाने से जमीदारान दूसरे धन्धों में आसानी से लग सकेंगे व जमीदारी चले जाने से जो बेकारी फैलकर असन्तोष बढ़ने की सम्भावना है उनमें भी रोक होगी।

लक्ष्मीनारायण गनेडीवाला

॥ श्रीः ॥

पत्रके जमीदारी ग्राम सम्बन्धी।

क्रमांक	नाम जिला व परगना	तादाद ग्राम	रिमार्क
	(१) जिला भिन्ड		
१	परगना भिन्ड	२८६	
२	,, गोहद	१७७	
३	,, लहार	२१५	
४	,, मेहगांव	१९६	
	टोटल	८७७	
	(२) जिला मुरेना		
१	परगना मुरेना	१७३	
२	,, अम्बाह	१४४	
३	,, सबलगढ़	२१६	
४	,, बिजयपुर	१४१	
५	,, श्योपूर	२६७	
६	,, जोरा	१८६	
	टोटल	११३०	
	(३) जिला गिर्द		
१	परगना भांडेर	१३३	
२	,, पिछोर	२१७	
३	,, घाटी गांव	१६७	
४	,, गिर्द	१९५	
	टोटल	७१२	

क्रमांक	नाम जिला व परगना	तादाद ग्राम	रिमार्क
	(४) जिला शिवपुरी		
१	परगना शिवपुरी	१८८	
२	,, पोहोरी	२७	
३	,, पिछोर	२४१	
४	,, कोलारस	२३६	
५	,, करेरा	२२७	
	टोटल	९२२	
	(५) जिला भेलसा		
१	परगना भेलसा	३७५	
२	,, बासोदा	३९०	
३	,, कुरवाई	१०८	
	टोटल	८७३	
	(६) जिला गुना		
१	परगना राघोगढ़	१०२	
२	,, मुंगावली	२७१	
३	,, पछार	४५२	
४	,, चाचोड़ा	२७५	
५	,, गुना	२३६	
	टोटल	१३३६	

क्रमांक	नाम जिला व परगना	तादाद ग्राम	रिमार्क
	(७) जिला शाजापुर		
१	परगना शाजापुर	३०८	
२	,, शुजालपुर	२४१	
३	,, आगर	२४७	
४	,, सुसनेर	२१५	
	टोटल	१०११	
	(८) जिला उज्जैन		
१	परगना उज्जैन	२११	
२	,, बड़नगर	१३४	
३	,, खाचरोद	१८६	
	टोटल	५३४	
	(६) जिला मन्दसोर		
१	परगना मन्दसोर	२०५	
२	,, जावद	१८५	
३	,, भानपुरा	१८	
४	,, नीमच	१२६	
५	,, सीतामऊ	११८	
३	,, गंगापुर	१०	
७	,, मल्हारगढ़	२	
	टोटल	६७४	

क्रमांक	नाम जिला व परगना	तादाद ग्राम	रिमार्क
	(१०) जिला रतलाम		
१	परगना जावरा	१५	
	टोटल	१५	
	(११) जिला धार		
१	परगना सरदारपुर	४३	
२	,, कुक्षी	१२६	
३	,, मनावर	१५८	
४	,, बदनावर	१	
	टोटल	३३१	
	(१२) जिला देवास		
१	परगना बागली	६०	
२	,, सोनकच्छ	१६२	
	टोटल	२२२	
	टोटल कुल	८६३७	

सूची उन ग्रामों की जो दान, खैरात, या वक्फ आदि किये गये हों ।

नाम जिला	प्रायवेट वक्फ और (दान) ट्रस्ट,		खैराती या पब्लिक वक्फ (दान) और ट्रस्ट		मिलेहुए वक्फ (दान) और ट्रस्ट		कैफियत
	संख्या	मालगुजारी	संख्या	मालगुजारी	संख्या	मालगुजारी	
१	२	३	४	५	६	७	८
	२५	४४१३	२३६	३७८२	—	—	

जमीदारान जो २५ रु. या इससे कम मालगुजारी देते हैं.		जमीदारान जो २५ रु. से ज्यादा ५० रु. तक मालगुजारी देते हैं.		जमीदारान जो ५० रु. से ज्यादा ७५ रु. तक मालगुजारी देते हैं.		जमीदारान जो ७५ रु. से ज्यादा १०० रु. तक मालगुजारी देते हैं.		जमीदारान जो १०० रु. से ज्यादा १५० रु. तक मालगुजारी देते हैं.	
कुल संख्या १	माल-गुजारी २	कुल संख्या ३	माल-गुजारी ४	कुल संख्या ५	माल-गुजारी ६	कुल संख्या ७	माल-गुजारी ८	कुल संख्या ९	माल-गुजारी १०
५३१७६	६५००६४	२५३५६	८४१२६०	११३२०	७६१३७२	६८५६	६७३६०८	७५८४	२३४६३

जमीदारान जो १५०० रु. से ज्यादा २००० रु. तक मालगुजारी देते हैं.		जमीदारान जो २००० रु. से ज्यादा २५०० रु. तक मालगुजारी देते हैं.		जमीदारान जो २५०० रु. से ज्यादा ३००० रु. तक मालगुजारी देते हैं.		जमीदारान जो ३००० रु. से ज्यादा ३५०० रु. तक मालगुजारी देते हैं.		जमीदारान जो ३५०० रु. से ज्यादा ४००० रु. तक मालगुजारी देते हैं.	
कुल संख्या २१	माल-गुजारी २२	कुल संख्या २३	माल-गुजारी २४	कुल संख्या २५	माल-गुजारी २६	कुल संख्या २७	माल-गुजारी २८	कुल संख्या २९	माल-गुजारी ३०
१०११	४४१६१४	१३४	३०८४३७	८०	१८२३४९	४६	१२९६८२	४९	९२८१४

गोषवारा

	जमीदारान के प्रकार	संख्या	परसेंटेज	मालगुजारी
	मालगुजारी देने वाले			
१	१ रु० से २५० तक जमीदार	११०९८५	·९१%	४७८५६००
२	२५१ ,, २५०० ,, ,,	१०७०३	८·८%	४२६१३५९
३	२५०१ ,, ५००० ,, ,,	२२२	·२%	५४१३००
४	५००१ ,, १०००० ,, ,,	५४	·०४%	१०६२७८
५	१००००,, ज्यादा ,,	२९	·०२%	३३४१२०
	टोटल ...	१२१९९३	....	१००२८६५७

व मालगुजारी जो देते हैं

जमीदारान जो १५० रु. से ज्यादा २०० रु. तक माल गुजारी देते हैं.		जमीदारान जो २०० रु. से ज्यादा २५० रु. तक माल गुजारी देते हैं.		जमीदारान जो रु. २५० से ज्यादा ५०० रु. तक माल गुजारी देते हैं.		जमीदारान जो ५०० रु. से ज्यादा १०००रु. तक माल गुजारी देते हैं.		जमीदारान जो १०००रु. से ज्यादा १५००रु. तक माल-गुजारी अदा करते हैं.	
कुल संख्या ११	माल-गुजारी १२	कुल संख्या १३	माल-गुजारी १४	कुल संख्या १५	माल-गुजारी १६	कुल संख्या १७	माल-गुजारी १८	कुल संख्या १९	माल गुजारी २०
४१५३	७३१८५७	२५३४	५९२४४९	५२५१	१५४६६८६	३६४२	९८१३८१	६६५	९८३२४१

जमीदारान जो ४००० रु. से ज्यादा ४५०० रु. तक मालगुजारी देते हैं.		जमीदारान जो ४५०० रु. से ज्यादा ५००० रु. तक मालगुजारी देते हैं.		जमीदारान जो ५००० रु. से ज्यादा १०००० रु. तक मालगुजारी देते हैं.		जमीदारान जो १०००० रु. से ज्यादा माल-गुजारी देते हैं.		विवरण
कुल संख्या ३१	माल-गुजारी ३२	कुल संख्या ३३	माल-गुजारी ३४	कुल संख्या ३५	माल-गुजारी ३६	कुल संख्या ३७	माल-गुजारी ३८	३९
२८	७९८५२	१९	५६६०३	५४	१०६२७८	२९	३३४१२०	

पत्रक रकबा खुदकाश्त जमींदारान

जमींदारान मालगुजारी के अनुसार	कुल संख्या जमींदारान	रक़बा खुद काश्त जो जमींदारान ने किया हो.	रकबा खुद काश्त जमींदारान जो शिकमी से काश्त कराया गया हो.	कुल रकबा खुद काश्त,
१	२	३	४	५
१. जमींदारान जो २५० रुपये तक मालगुजारी देते हैं.	९३,८३८	१७,६१,२३८	२७,४०६	१७,८८,६४४
२. जमीनदारान जो २५० रुपये से ज्यादा ३०० रुपये तक मालगुजारी देते हैं.	१,७४०	१,१३,३१३	१,३७०	१,१४,६८३
३. जमींदारान जो ३०० रुपये से ज्यादा ३५० रुपये तक मालगुजारी देते हैं.	१,१३७	८०,३५७	१,२०९	८१,५६६
४. जमींदारान जो ३५० रुपये से ज्यादा ५०० रुपये तक माल गुजारी देते हैं.	२,१०१	१,५६,६६२	२,०१७	१,५८,६७९
५. जमींदारान जो ५०० रुपये से ज्यादा १,००० रुपये तक मालगुजारी देते हैं.	२,२१८	२,२९,७४९	२,२०६	२,३१,९५५
६. जमींदारान जो १,००० रुपये से ज्यादा ५,००० रुपये तक मालगुजारी देते हैं.	१,१०२	१,३९,७३०	२,१००	१,४१,८३०
७. जमींदारान जो ५,००० रुपये से ज्यादा १०,००० रुपये तक मालगुजारी देते हैं.	७०	१२,७०४	१६३	१२,८६७
८. जमींदारान जो १०,००० रुपये से ज्यादा मालगुजारी देते हैं.	२६	४,२३५	२२	४,२५७
टोटल	१,०२,२३२	२४,९७,९८८	३६,५२३	२५,३४,५११

नोट--रकबा बीघों में है।

परिशिष्ट नं० (५)

पत्रक शिकमी काश्तकारान

क्रमांक	शिकमी काश्तकारान के प्रकार	संख्या	रकबा बीघों में	लगान	रिमार्क्स
१	काश्तकारान, जो जमींदार के खुदकाश्त के शिकमी हैं	६,५८४	३६,५२३	१,३८,७३०	
२	,, जो साकितुल मिल्कियत काश्तकारान के शिकमी हैं	२,०६८	११,००६	४५,०७६	
३	,, जो पुख्ता मौरूसी काश्तकारान के शिकमी हैं	८७,६०३	४,६२,०६७	१३,३३,६०२	
४	,, जो मामूली मौरूसी काश्तकारान के शिकमी हैं	१८,०६४	१,०६,८८६	३,१२,८३५	
५	,, जो गैर मौरूसी काश्तकारान के शिकमी हैं	२३,६३०	१,४१,२४७	४,४२,१७३	
	टोटल	१,४१,२७६	७,५७,७६२	२२,७२,७१६	

पत्रक मौरूसी काश्तकारान व गैर मौरूसी काश्तकारान

क्रमांक	काश्तकारान के प्रकार	संख्या	रकबा बीघों में	लगान	रिमार्क्स
१	पुख्ता मौरूसी काश्तकारान	३,४६,६२६	३७,६०,४५२	५५,०२,८८६	
२	मामूली मौरूसी काश्तकारान	८७,३७२	११,३०,७१७	१६,३२,७४८	
३	गैर मौरूसी काश्तकारान	२,५१,००७	२७,७६,८६५	४०,४५,१७४	
	टोटल	६,८८,३०५	७६,६८,०६४	१,११,८०,८०८	

परिशिष्ट नं० (७)

पत्रक सुपुर्दगी, मुस्ताजरी, जमींदारी समाप्ति समिति, मध्यभारत शासन

क्रमांक	नाम	रकबा बीघों में	मालगुजारी	रिमार्क्स
१	सुपुर्दगी	१,२१,४६८	६१,४०६	
२	मुस्ताजरी	५३,५७४	३३,८८३	
—	टोटल	१,७५,०४२	९५,२९२	

पत्रक, निकासी, मालगुजारी, मुनाफा

क्रमांक	नाम जिला व परगना	निकासी	मालगुजारी	मुनाफा	रिमार्क्स
१	२	३	४	५	६
	(१) जिला भिन्ड				
१	परगना भिन्ड	१२,०६,१०९	५,९०,०३८	६,१६,०७७	
२	,, गोहद	८,५९,२४३	३,४३,२४५	५,१५,९९८	
३	,, लहार	६,०१,३४०	३,६७,४७१	२,३३,९७३	
४	,, मेहगाँव	८,५८,२३८	३,३१,६५२	५,२६,३९६	
	टोटल	३५,२४,९३०	१६,२२,४०६	१८,९२,४४४	
	(२) जिला मुरेना				
१	परगना मुरेना	५,१८,५७८	२,७८,५४८	२,४०,३३७	
२	,, अम्बाह	७,२८,८९७	२,८६,७०९	३,४२,१८८	

३	परगना सबलगढ़	५,१६,३१४	३,०८,७०६	२,०८,६६६
४	,, विजयपुर)	३६,७६१	१८,६६२	२१,३६१
५	,, विजयपुर)	१,१६,२१६	६६,५०१	४६,७६५
	,, शोपुर	४,३६,०६०	२,४५,५५१	१,६४,६८८
७	,, जौरा	६,२१,३०४	३,३२,८६५	२,८८,४०६
	टोटल ...	२६,८०,१६३	१६,३७,८७५	१३,४५,७७७
	(३) जिला गिर्द			
१	परगना भांडेर	४,३०,३१६	२,६२ ४११	१,६७,६०८
	परगना पिछोर	५,१३,२०३	२,२७,६५३	२,८५,२४६
३	,, घाटी गांव	२,७५,६६८	१,५३,३२३	१,२२,६४५
४	,, गिर्द	३,०८,०४०	१,३४,५३१	१,७३,००२
	टोटल	१५,२७,५३०	७,७८,२१८	७,४८,८०४
	(४) जिला शिवपुरी			
१	परगना शिवपुरी	२,४६,४५६	१,३६,८६५	१,१२,८५१
२	,, पोहरी	७४,८८१	४२,५११	३२,३७०

३	,, पिछोर	२,०६,८०३	१,१०,६४०	९६,४५५
४	,, कोलारस	३,२८,५६०	१,८३,८६२	१,३७,६४८
५	,, करेरा	२,७६,६१२	१,५६,७४६	१,२०,३७३
	टोटल	११,३३,६४५	६,३०,६८४	४,६६,६६७
	(५) जिला भेलसा			
१	परगना भेलसा	८,१०,५१६	३,३८,५३५	४,७३,४७१
२	,, बासोदा	६,४७,०५८	२,७२,१७३	३,७४,८८५
३	,, कुरवाई	१,४६,८८८	६३,७४५	८३,१४३
	टोटल	१६,०४,४६५	६,७४,४५३	९,३१,४९९
	(६) जिला गुना			
१	परगना राघोगढ़	१,०४,१७५	६३,६१७	४०,९८९
२	,, मुगावली	१,९९,६५१	१,०१,२२६	१,०२,०७९
३	,, पछार	५,१५,२२०	२,६५,२२२	२,४९,४४७
४	,, चाचोंडा	३,४४,४०५	१,८१,९०४	१,६२,५०१
५	,, गुना	१,७५,४०१	१,०९,३१३	६५,६७२

	टोटल	१३,३८,८५२	७,२१,२८२	६,२०,६२८
	(७) जिला शाजापुर			
१	परगना शाजापुर	७,१७,६०७	४,०८,१९९	३,०६,७०७
२	,, शुजालपुर	९,१८,८७४	४,८५,१४६	४,३३,७२७
३	,, आगर	४,४९,३१४	२,६७,५८६	१,८१,७८३
४	,, सुसनेर	५,७६,८३५	३,३१,८९६	२,४५,२७२
	टोटल	२६,६२,६३०	१४,९२,८२७	११,७०,४८९
	(८) जिला उज्जैन			
१	परगना उज्जैन	८,०९,०१९	३,७८,२५२	४,३०,७६७
२	,, बडनगर	५,१९,९३४	२,८८,९६३	२,३०,९७१
३	,, खाचरोद	६,९८,२५९	३,७७,७४१	३,२१,५८५
	टोटल	२०,२७,२१२	१०,४४,९५६	९,८३,३२३
	(९) जिला मन्दसोर			
१	परगना मन्दसोर	७,१८,९९९	४,४७,७२९	२,७१,२७०
२	,, जावद	५,८६,४८२	१,३१,०६६	४,५५,५७७

३	„ भानपूरा	५१,०४२	२६ १५६	२४,८८३
४	„ नीमच	४,६४,६८७	१,२४,००८	३,४०,६७६
५	„ सीतामऊ	२,६४,७३३	१,४६,७२१	१,१८,०१२
६	„ गंगापूर	९१,४८२	१६.७६५	७४,७१७
७	„ मल्हारगढ़	१०,५०२	५,६६३	४,८३६
	टोटल	२१,८७,६२७	८,९८,१११	१२,८६,९७६
	(१०) जिला रतलाम			
१	परगना जावरा	५१,०७०	३७,३७५	२३,५६५
	(११) जिला धार			
१	परगना सरदारपूर	१,२२,९२३	६०,०६७	६२,८५६
२	„ कुक्षी	६१,३४६	२६,७४६	३६,५८८
३	„ मनावर	१,५२,३६०	७६ १५१	७३,१५३
४	„ बरनावर	७,९२३	४,६७८	३,२४५
	टोटल ...	३,५२,५५५	१७३,६४२	१७,८,८४२

	(१२) [illegible] देवास			
१	परगना [illegible]	८६,९८४	४७,६७९	३९,००५
२	„ सोनकच्छ	४,६६,४४६	२,५८,५४९	२,०६,८६९
	टोटल	५,५३,४३०	३०,०६,५२८	२,४५,८७४
	टोटल कुल	१,९९,४४,७३६	१,००,२८,६५७	९९,३०,६५१

परिशिष्ट नं० (६)

अन्दाजी व्यय पत्रक-बजट, जमीदारों को, जो मुआवजा दिया जावेगा उस सम्बन्ध में होने वाले व्यय बावत-जमीदारी समाप्ति समिति, मध्यभारत शासन

क्रमांक	नाम	काम्पेन्सेशन कमिश्नर कार्यालय	काम्पेन्सेशन आफिसर कार्यालय अजलाय ६ के वास्ते	कार्यालय तहसीलात ४०			टोटल कुल	रिमार्क्स
				डिपटी काम्पेन्सेशन आफिसर तह० ४०	स्पेशल आफिसर तह० ४०	टोटल		
१	पदाधिकारियों के वेतन	१४,४००	५४,०००	१,४४,०००	१,४४,०००	२,८८,०००	३,५६,४००	
२	कर्मचारियों के वेतन							
	१ क्लार्क्स	८,७६०	४६,१४०	४,२६,६००	८८,८००	५,१८,४००	५,७६,३००	
	२ भृत्यवर्ग	२,२२०	१५,६६०	९६,०००	९६,०००	१,९२,०००	२,०९,८८०	
		१०,९८०	६४,८००	५,२५,६००	१,८४,८००	७,१०,४००	७,८६,१८०	
३	यात्रा व्यय, मंहगाई, सायकल पारिश्रमिक एलॉउन्र्स वगैर:							
	१ यात्रा व्यय	५,०००	१८,०००	३६,०००	३६,०००	७२,०००	९५,०००	
	२ मंहगाई अलाउन्स							
	१ पदाधिकारी	०	०	२४,०००	२४,०००	४८,०००	४८,०००	
	२ कर्मचारी	३,८२८	२१,९२४	२,४८,८२०	४१,७६०	२,९०,५८०	३,१६,३३२	
	३ भृत्यवर्ग	२,५९२	१८,१४४	१,१५,२००	१,१५,२००	२,३०,४००	२,५१,१३६	
		६,४२०	४०,०६८	३,८८,०२०	१,८०,९६०	५,६८,९८०	६,१५,४६८	

३ सायकल अलाउन्स	१२०	१,०८०	०	०	०	१,२००
४ पारिश्रमिक अलाउन्स पटवारियान को	०	०	३,७६,४१०	०	३,७६,४१०	३,७६,४१०
टोटल	११,५४०	५९,१४८	८,००,४३०	२,१६,९६०	१०,१७,३९०	१०,८८,०७८
अन्य व्यय						
१ छपाई स्टेशनरी व फार्म्स	२०,०००	९,०००	१५,०००	१५,०००	३०,०००	५९,०००
२ मकान किराया	१,२००	१०,८००	१४,४००	१४,४००	२८,८००	४०,८००
३ पोस्ट व्यय	५,०००	२५,०००	६०,०००	६०,०००	१,२०,०००	१,५०,०००
४ फरनीचर	२,५००	९,०००	२४,०००	२४,०००	४८,०००	५९,५००
५ बर्दी	५००	९००	०	०	०	१,४००
६ लाइट, ह्वाटवेदर चार्जेस, पिरिओडिकल्स, पुस्तक ई०	१,१००	१,५००	५००	५००	१,०००	३,६००
७ टेलीफोन	२५०	०	०	०	०	२५०
८ विविध व्यय मय टाइपराइटर	४,०००	१२,०००	१८,०००	१८,०००	३६,०००	५२,०००
टोटल अन्य व्यय	३४,५५०	६८,२००	१,३१,९००	१,३१,९००	२,६३,८००	३,६६,५५०
टोटल कुल	७१,४७०	२,४६,१४८	१६,०१,९३०	६,७७,६६०	२२,७९,५९०	२५,९७,२०८

मुद्रक—
गुलाबचन्द अग्रवाल बी० कॉम, अग्रवाल प्रेस, रावतपाड़ा आगरा।